खण्ड-337, अंक-1
गुरूवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1900
(8 मार्च, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 337 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
उप मुख्य मंत्री पद के सृजन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	6–7
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के अतिरिक्त अन्य कार्य न लिए जाने की मांग ..	7
विधान सभा की बैठक बुलाने के लिए जारी परिपत्र अंग्रेजी लिपि में होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न जारी	7–8
मंत्रियों के परिचय की मांग	8–10
विधान सभा की बैठक बुलाने के लिए जारी परिपत्र अंग्रेजी लिपि में होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न जारी	10–11
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री उपाध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ..	11–12
भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री लोकपाल सिंह, मोहन लाल वर्मा, राम सुन्दर पाण्डेय, वीर सिंह सेंगर, कुंवर गुरु नारायन, राम प्रसाद टमटा तथा राम कुमार वैद्य के निधन पर शोकोद्गार	12–18
श्री अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	18
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	19
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन अध्यादेश, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया)	19
आज की कार्य सूची के मदों में मुख्य मंत्री के नाम छपे होने तथा दो उप मुख्य मंत्रियों के कार्य वितरण के सम्बन्ध में आपत्ति	19–20
पंचायत संस्थाओं के सम्प्रेक्षण का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	20
सदन के पटल पर रखने हतु प्राप्त उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, 1975–76 का स्थगन जारी ..	20–21

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	21
सदन के पटल पर रखने हेतु प्राप्त उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, 1975–76 का स्थगन ..	21–22
उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	22
लखनऊ विकास प्राधिकरण का वार्षिक कार्य-विवरण 1975–76 और 1976–77, कानपुर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 1975–76 और 1976–77, वाराणसी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन, 1975–76 और 1976–77 तथा इलाहाबाद व आगरा विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, 1976–77 को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति तथा स्थगन	22–23
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	23
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	23
स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	23
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (स्थानीय विकास योजना के अधीन सहायक अनुदान) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	24
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	24
स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	24
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (दसवां संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	24
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ का 19 वां वार्षिक लेखा विवरण 1976–77 (सदन के पटल पर रखा गया)	24
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों की) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978 को पटल पर रखे जाने पर आपत्ति ..	25–26
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों की) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	26

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	26
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1978 में किए गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ..	26–27
उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1978 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ..	27
उत्तर प्रदश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 में किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	28
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 म किए गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	28
उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 में किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	28
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	28
उत्तर प्रदेश विनियोग (1978–79 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1978 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	28–29
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1978 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	29
उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1978 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	29
उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1978 (माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	29
उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 1978 (माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	29
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 (माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	29–33
उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, विधेयक, 1978 (माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	30
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 (माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	30

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 (माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	30
उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, 1978 (माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	30
सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचनाएं	30–31
विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	31
क्षय रोगाश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	31–32
सदस्यों के दल परिवर्तन की सूचना	32–33
कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिशों को पुनः कार्य-मन्त्रणा समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	33–41
मतियां	42–52

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 8 मार्च, 1979]

2978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में अपरान्ह 12-30 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—373

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह श्री

ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णा कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपयी, श्री

गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभान मौर्य, श्री
चन्द्रभूषण सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल "निर्भय", श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री

फजलुलबारी ,श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिह, श्री
बनारसीदास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा, "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिह, श्री
भगौती सिह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिह, श्री
भारत सिह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नूराम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ, श्री
मलिखान सिह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिह, राजा
महेन्द्र सिह यादव, श्री
मानपाल सिह एडवोकेट, श्री
मान सिह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद , श्री
मुलायम सिह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिह, श्री
रणजीत सिह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिह, श्री
रफी उल्लाह, श्री

रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
रामप्रकाश, श्री
रामफेर कोरी, श्री
रामबक्श, श्री
रामबरन वर्मा, श्री
रामरतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वरनाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विजयराज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान, बर्क श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री

संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बक्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हेम राज, श्री

नोटः—श्रम मंत्री श्री क्रान्ति कुमार तथा हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

उप मुख्य मंत्री पद के सृजन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं दो व्यवस्था के प्रश्न उठाना चाहता हूं । पहला तो यह है कि मैं माननीय से चाहूंगा कि यहां जो काम हो वह विधि के अनुसार हो और विधि के अनुसार करने के लिए हमारे पास दो दस्तावेज हैं—एक भारतीय संविधान है और दूसरा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 (1) में लिखा है—

163—(1) "जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों अथवा उन में से किसी को स्वविवेक से करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा।"

श्रीमन्, कहीं भी भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है कि उप मुख्य मंत्री पद का सृजन हो ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, पहले गवर्नर का भाषण तो आ जाय । यह व्यवस्था की बीज कैसे बड़ी हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शम्भूनाथ जी, आप कृपा करके बैठ जायं । जहां तक संविधान का प्रश्न है, आप लिखकर भेज दें तब उसे देखकर मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

सन् 1976 में जब चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे उस समय भी उप मुख्य मंत्री के पद का सृजन किया गया था । राम प्रकाश जी यहां उप मुख्य मंत्री थे ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, यह बुरी परम्परा हो रही है कि कार्यसूची के बाहर आप इजाजत दे रहे हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं पढ़ रहा हूं, ये लोग समझते नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं देता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

आप लोग बैठ जायं, मैं आज्ञा नहीं देता हूं ।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

जब आपने आज्ञा दे दी तो आप नहीं बैठा सकते ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आपने आज्ञा दान का शो नहीं किया लेकिन आपने सुना । सुनना आपका काम होगा । आप उस कुर्सी पर बैठकर हमारे अधिकार नहीं छीनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो संवैधानिक आपत्ति आपने उठायी है उसके बारे में आप लिखकर दे दें, मैं विचार कर लूंगा और उस पर कल अपनी व्यवस्था दूंगा । अब मैं इजाजत नहीं देता ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के अतिरिक्त अन्य कार्य न लिए जाने की मांग

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में नियमावली के नियम 19(2) में लिखा है कि राज्यपाल के अभिभाषण के उपरान्त सभा के प्रथम उपवेशन में अध्यक्ष सदन को अभिभाषण को पढ़कर सुना सकेंगे और (3) अध्यक्ष, सदन के नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करेंगे जो साधारणतया चार दिन होगा ।

परन्तु कोई दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए नियत होते हुए भी, उस दिन सदन में अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ होने या जारी होने के पूर्व, अन्य औपचारिक कार्य किया जा सकेगा । इसलिये आज अन्य कोई कार्य नहीं चल सकता है । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने जो आपत्ति उठाई है, उसके संबंध में यह कहना है कि यह जो कुछ हुआ है यह संविधान के अन्तर्गत आता है । इसलिये आपने जो आपत्ति उठाई है उसमें कोई बल नहीं है । मैं इसे खारिज करता हूं और आज की कार्यवाही आरम्भ कर रहा हूं ।

विधान सभा की बैठक बुलाने के लिए जारी परिपत्र अंग्रेजी लिपि में होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । हम विधायकों को आपकी तरफ से जो बुलाया गया है, निमंत्रण गया है वह अंग्रेजी में गया है (शेम शेम की आवाजें)

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

यह जो मुख्य मंत्री जी की बगल में माननीय रामनरेश बैठे हुए हैं यह इन्होंने किया है जो कि अफसोस की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठें । हमारे यहां से कोई पत्र अंग्रेजी में नहीं गया है ।

श्री संगम लाल—

जो बुलावा आपकी तरफ से गया है, आपकी सरकार की तरफ से गया है वह अंग्रेजी में है इसलिये मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

आपके यहां से गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपके पास गया है यह डी० एम० को रेडियोग्राम जारी किया गया है संभवतः आप उसकी प्रतिलिपि को समझ रहे हैं कि वह हमारे यहां से भेजा गया है, किन्तु हमारे यहां से जो सूचना गई है वह हिन्दी में है ।

श्री संगम लाल—

मैं मूल पत्र पढ़े देता हूं

Under Article 174 (1)' of the Constitution of India Governor has summoned the U. P. Vidhan Sabha to meet at 11 A. M. on March 8th, 1979 in Assembly Hall Council House Lucknow for the first Session of 1979. Governor will also address both the Houses of the State Legislature Assembled together in Assembly Hall at 11 A. M. on the said date.

श्री उपाध्यक्ष—

यह बताइये कि इसमें नीचे हस्ताक्षर किसके हैं ?

श्री संगम लाल—

हस्ताक्षर किसी के हों, यह आपकी तरफ से पत्र जिलाधीशों को भेजे गये हैं जिसकी कापी हमको दी गई है ।

श्री उपाध्यक्ष—

हमने जो समन जारी किया है वह हिन्दी में है । आप शायद रेडियोग्राम पढ़ रहे हैं ।

श्री मान सिंह आजाद—

एक बार जो मुख्य मंत्री रह गया है वह उप-मुख्य मंत्री नहीं हो सकता । इसीलिये यह हुआ है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

हमें यह समाचार पढ़ने को मिला है कि माननीय नारायण सिंह जी उप-मुख्य मंत्री बनाये गये हैं । लेकिन अभी जिस क्रम में वह बैठे हैं उसमें उप-मुख्य मंत्री का मैं शुभनाम नहीं लगा है और दूसरे वह पांचवें नम्बर पर बैठे हुए हैं (श्री नारायण सिंह के तीसरे नम्बर पर आने पर) (हंसी)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

माननीय मंत्रियों के पट नाम अभी तक नहीं लगे है क्या इसमें कोई बात रह गई है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बाकी रह गया हो ?

मंत्रियों के परिचय की मांग

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

आपकी आज्ञा से मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने और कुछ अन्य माननीय मंत्रियों ने शपथ ली है । हाउस आफ कामन्स में और हमारे यहां संसद में भी जब भी मंत्री लोग शपथ लेते हैं तो उनका परिचय सदन को कराया जाता है । कोई कारण नहीं भी है कि यहां पर यह न हो । मैं समझता हूं कि आप इस पर यह कहेंगे कि यह परिपाटी यहां नहीं रही है, लेकिन जब यहां नई-नई परिपाटियां कायम की जा रही हैं दो-दो उप मुख्य मंत्री बनाए गए हैं, तो एक अच्छी बात को, अच्छी परिपाटी को वह अवश्य कायम करें । वह स्वयं संसद में देख चुके हैं, वहां भी जब-जब नये मंत्री बनाये गये हैं, यहां तक कि चौधरी चरण सिंह जब दुबारा मंत्री बनाए गए, तो फिर से उनका सदन को परिचय दिया गया । अतः कोई कारण नहीं है कि नये मंत्रियों का हम लोगों को परिचय न दिया जाये। इसलिये मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी आपकी आज्ञा से नये मंत्रियों का सदन के सामने परिचय औपचारिक रूप से करायें । यह एक अच्छी परिपाटी होगी । मान्यवर, आप यह कहकर इस पर रोक न लगाएं कि अब तक यह नहीं होता रहा है । नहीं होता रहा है तो भी अब उस अच्छे काम की नई शुरुआत हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह यहां नहीं होता रहा है यहां की यह परम्परा नहीं रही है ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

श्यामधर जी ने जो आपत्ति की है-जो प्रश्न उपस्थित किया है, इस प्रकार की इस सदन में परम्परा नहीं है । श्री मिश्र स्वयं जानते हैं, जितने मंत्री हैं उन सबसे वह स्वयं परिचित हैं । इसलिये ऐसे परिचय की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

मान सिंह जी ने जो कहा है, मेरी बिना अनुमति के कहा है, इसलिये मैं उसे कार्यवाही में रखे जाने की इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्री श्याम धर जी ने एक प्रश्न उठाया, आपने उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी । मुख्य मंत्री ने ही व्यवस्था दे दी, तो क्या वह अब भी सदन के अध्यक्ष हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उस पर यह कहा था, आप शायद सुन न पाये हों, कि यह सदन की परम्परा नहीं रही है और उसके बाद मैंने मुख्य मंत्री जी को बुलाया । मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका था ।

श्री मैनेजर सिंह—

व्यवस्था दे दी थी, तो फिर उन्हें बुलाया ही क्यों ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आप इस संबंध में नियम 283 देख लें, फिर उस पर व्यवस्था दें । मिश्र जी ने जो विषय उठाया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पहले ही कह चुका था कि यह परम्परा नहीं रही है कि नये मंत्रियों का परिचय कराया जाए । इस पर मैंने मुख्य मंत्री जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता । अब यदि इसपर विचार करना है तो मुख्य मंत्री जी विरोधी-दल के नेताओं के साथ बैठकर इस पर विचार कर लें और परिचय तो बाद में भी हो सकता है ।

एक सदस्य—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपने मेरा नाम पुकारा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपने मेरा नाम पुकार लिया है ।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
माननीय मुख्य मंत्री मान रहे हैं या नहीं ? विरोधी दल के नेताओं से विचार-विमर्श करने के बाद क्या इस तरह की प्रथा सदन में डालेंगे ? क्या इसके पक्ष में हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—
आप सुनें तो।

श्री बनारसी दास—
इस प्रकार की अभी तक कोई परम्परा नहीं है, अब तक जितने भी मंत्रि-परिषद् बने । आगे अगर इस प्रकार की परम्परा बनानी है तो हम को विचार करना पड़ेगा। इसलिये जब तक हम इस प्रकार कोई मिलजुल कर निर्णय न करें पुरानी परम्परा ही कायम रखना उचित होगा ।

विधान सभा की बैठक बुलाने के लिए जारी परिपत्र का अंग्रेजी लिपि में होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—
माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय शुक्ल जी ने कोई आपत्ति उठायी आपने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया ।यह बहुत गम्भीर मामला है, जिस बात की ओर शुक्ल जी ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, उसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजभाषा के संबंध में स्पष्ट निर्देश है, उसकी स्पष्ट रूप से अवहेलना शासन द्वारा की गयी है । उन्होंने वह पढ़ कर सुनाया है । यह बात सही है कि वह पत्र माननीय सचिव ने नहीं दिया । राज्यपाल महोदय की ओर से राज्य सरकार के द्वारा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को दिये गये निर्देश के अनुसार उनके वी0आई0पी0 अधिकारी द्वारा माननीय सदस्य को लिखा गया वह पत्र है । जो हमारा नियम है, जो हमारी राजभाषा का अधिनियम है, उसके अनुसार यहां की राजभाषा हिन्दी है यह स्पष्ट नियम है । कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि पत्रावली के भीतर कोई अंग्रेजी की टिप्पणी लग जाय । लेकिन कोई भी इस प्रकार से आदेश हिन्दी के अतिरिक्त किसी भाषा में नहीं होंगे और लिपि निश्चित रूप से देवनागरी होगी । इस तरह से जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये नियम की स्पष्ट अवहेलना की है । इसलिये मैं समझता हूं कि उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये और इस भूल के लिए शासन की ओर से माननीय मुख्य मंत्री को इस आदरणीय सदन के सामने क्षमा याचना करनी चाहिये । इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं ।

इसके साथ एक दूसरी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आप प्रक्रिया नियमावली के नियम 282 को देखने की कृपा करें। उसमें साफ लिखा है— "संविधान के उपबन्धों को अधीन सभा का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा।" मान्यवर, जहां प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी की निन्दा की बात है, इस सदन के अन्दर, आपके पीठासीन होते हुए, और माननीय बनारसीदास के मुख्य मंत्री होते हुए, जिन्होंने इस पीठ पर पीठासीन होते हुए हिन्दी की रक्षा में अनेक रूलिंग दी हैं, उनके मुख्य मंत्री होने के बाद पहले दिन, इन नियमों की स्पष्ट अवहेलना होती है । मैं आपका ध्यान इस पुस्तक की ओर दिलाना चाहता हूं, जो हम को पीजन होल्स में मिली है "Ist. Aunnal Report 1975–76 Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited. "फस्ट एनुअल रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड" ऐसा समझा जाता है कि नियमों में कि जो भी साहित्य माननीय सदस्यों को वितरित किया जायगा, पीजन होल्स में, या इस सदन में वह आपकी अनुमति से वितरित किया जायगा । इसलिये यह मान लेने की बात है कि जो पुस्तक वितरित की गयी इसको वितरित करने के पूर्व आपके आदेश प्राप्त कर लिये गये होंगे । यह पूरी पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गयी है । केवल अंग्रेजी में दिया हुआ है । अन्त में कुछ हिन्दी में अनुवाद है । आप इस संबंध में मेरे विरोध से यह कह सकते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया

कि अंग्रेजी के साथ हिन्दी का अनुवाद है जो दिया गया है। व्यवस्था इसके विपरीत होनी चाहिये। यह फर्स्ट इनुअल रिपोर्ट है। यह हिन्दी में होती। हिन्दी के साथ, हिन्दी शब्दों का आवश्यकतानुसार अंग्रेजी में अनुवाद दिया होता। इसके विपरीत अंग्रेजी में पहले दे कर हिन्दी का अनुवाद दिया हुआ है। यह स्पष्ट रूप से नियमावली के नियम की अवहेलना है। इस संबंध में व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो आपत्तियां उठायी हैं। एक तो यह कि पत्र अंग्रेजी में क्यों गया और दूसरी आपत्ति यह उठायी कि पत्रिका में हिन्दी और अंग्रेजी दोनो है। मैं दोनों को देख लूंगा फिर अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप इसी समय व्यवस्था दे दें तो ठीक रहेगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने कहा कि मैं इसे देख लूंगा, लेकिन मान्यवर, इसमें देखना क्या है? यह स्पष्ट है यह हमारी नियमावली के विपरीत है। आप इस पर तत्काल व्यवस्था दें। आपकी यही व्यवस्था उचित होगी कि आप इस पुस्तिका को संबंधित विभाग को वापस कर दें और विभाग को आदेश दें कि वह इसका हिन्दी अनुवाद करके दुबारा भेजें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसको मेरे पास भेज दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह आपके आदेशों के विपरीत यहां पर रखी गयी है, इसको भेजना क्या है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उसे देख लूंगा। मैं जल्दी से जल्दी जो कुछ व्यवस्था होगी, दूंगा और आदेश दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जिलाधिकारी का जो पत्र मिला है वह भी अंग्रेजी में ही मिला है।

बाबा रामअधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

प्रतापगढ़ के ही माननीय सदस्यों को नहीं बल्कि हम लोगों को भी इलाहाबाद में यह पत्र अंग्रेजी में मिला है। आप इस बात को देखें कि यह अंग्रेजी में क्यों गया है? इलाहाबाद में भी गया है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री उपाध्यक्ष द्वारा संशोधित पाठ

श्री चेत राम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पहला और अंतिम पैराग्राफ पढ़ता हूं।

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1979 के प्रथम सत्र के अवसर पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। विगत वर्ष हमारे राज्य में भयंकर रूप से बाढ़ आई जिसके कारण एक दो जिलों को छोड़कर सभी जिले प्रभावित रहे। मेरी सरकार ने हर सम्भव उपाय से लोगों

[श्री उपाध्यक्ष–]

की सहायता की । साथ ही केंद्रीय सरकार से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भी निःशुल्क वितरण हेतु प्राप्त हुआ जिसे जिलों में बांटा गया । एडवांस प्लान सहायता के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये 73 करोड़ से अधिक धनराशि भवन निर्माण तथा अन्य मदों के लिये प्राप्त हुई है। सरकार के प्रयासों के अलावा जनता ने जिस धैर्य और मनोबल से इस आपदा का सामना किया वह सराहनीय है।

× × × ×

प्रशासकीय कार्यों का यथासंभव विकेन्द्रीकरण मेरी सरकार की नीति है। इसके लिए शासन स्तर से मण्डल स्तर पर अधिकारों के प्रतिनिहित किए जाने पर शासन विचार कर रहा है । इसी प्रकार जिला स्तर से तहसील स्तर पर परगनाधिकारी व मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय और उप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय स्थापित करने के कार्य को भी प्राथमिकता दी जायगी । सरकार अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह अपेक्षा करती है कि वह अपने को जनता का सेवक मानते हुए उनकी समस्याओं को निकट से समझें और उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर न दें । प्रशासनिक देरी को समूल नष्ट किया जाय । मुझे आशा है कि सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण रूप से करेंगे ।

× × ×

माननीय सदस्यगण , उपलब्ध संसाधनों, पर्याप्त जनशक्ति एवं प्रतिभा के होते हुए भी हमारा प्रदेश अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है । इसके पिछड़े पन को दूर करने तथा समाज के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये हमें एक दीर्घ और निर्णायक संघर्ष करना पड़ेगा यह लक्ष्य सामूहिक प्रयासों एवं सहयोग से ही सम्भव है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब सदस्यगण इस प्रदेश की सर्वांगीण उन्नति के पुनीत कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आहूत करता हूं ।

(श्री राज्यपाल अभिभाषण के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 42 पर)

भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री लोकपाल सिंह, मोहन लाल वर्मा, राम सुन्दर पांडेय, वीर सिंह सेंगर, कुंवर गुरु नारायण, राम प्रसाद टमटा तथा राम कुमार वैद्य के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा दुखपूर्ण कर्तव्य है कि मैं सदन के सत्रावसान के बाद 7 माननीय भूतपूर्व विधायकों के निधन की सूचना दे रहा हूं ।

श्री लोकपाल सिंह का जन्म एटा में सन् 1906 में हुआ था । 74 वर्ष की आयु में दिनांक 10 दिसम्बर, 1978 को हृदय गति रुक जाने से उनका देहावसान हो गया । वे अपने पीछे एक पुत्र तथा 3 पुत्रियां छोड़ गये हैं । सन् 1962 में जनसंघ के टिकट पर वे निर्वाचित हुए थे । मुझे उनके सम्पर्क में निकट से आने का सुअवसर मिला था । वे बड़े विद्वान, समाजसेवी तथा साहित्य सेवी थे और उनकी कविताएं और उनकी रचनायें बड़ी प्रसिद्ध हैं । सन् 1960 के गोवध आन्दोलन में उन्होंने विरोध स्वरूप विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया था । उनके उठ जाने से जन-जीवन में बड़ी क्षति पहुंची है ।

दूसरे श्री मोहन लाल वर्मा, हरदोई के रहने वाले थे । ये स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानी थे । उत्तर प्रदेश के जन-जीवन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा । उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे इस सदन तथा विधान परिषद्

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

के सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी प्रवृत्ति रचनात्मक थी। इनका ब्वायज स्काउट्स और कृषि तथा कृषक समाज में बड़ा सहयोग रहा था। वे कुछ समय से कैंसर रोग से पीड़ित थे और 9 जनवरी, 1979 की रात्रि में 8 बजकर 15 मिनट पर उनका देहावसान हो गया। श्री वर्मा सन् 1948 से 1952 तक उत्तर प्रदेश की विधान परिषद् के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए 1957 में सण्डीला क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री वर्मा ने वर्ष 1930 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और उसके बाद 1942 में "भारत छोड़ो" आन्दोलन में काफी लम्बी अवधि तक बन्दी रहे। श्री वर्मा अपने जिले के खासतौर से कृषि उद्योग तथा सहकारिता आन्दोलन से सक्रिय रूप से सम्बन्धित थे। उनके उठ जाने से हमारे प्रदेश को बड़ी क्षति हुई है।

श्री राम सुन्दर पांडेय जी भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका समाजवादी आन्दोलन से बड़ा निकट का सम्बन्ध रहा। श्री पांडेय का जन्म आजमगढ में 1 जनवरी, 1917 को हुआ था। वे वर्ष 1952 में प्रजा समाजवादी दल के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1957, 1962 और 1974 के सामान्य निर्वाचनों में भी इस सदन में निर्वाचित होकर आए और क्रमश: प्रजा समाजवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस दल का प्रतिनिधित्व करते रहे। श्री पांडेय सन् 1940 के सत्याग्रह में जेल गये और उसके बाद आपका सक्रिय योगदान समाजवादी आन्दोलन के साथ रहा।

श्री वीर सिंह सेंगर का जन्म ग्राम बबीना, तहसील कालपी में जुलाई, 1933 में हुआ था। 22 जनवरी, 1979 को उनका निधन दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। आपने कानपुर से बी0ए 0 की डिग्री प्राप्त की थी सन् 1974 में वे भारतीय जनसंघ के टिकट पर कालपी क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वे अपने शिक्षा काल में कालेज के राजनैतिक विज्ञान समिति के महामंत्री रहे। शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लिया। वे वर्ष 1954 से 1957 तक सहकारी क्रय-विक्रय समिति, कालपी के उपाध्यक्ष, 1955 से 1961 तक आनरेरी मैजिस्ट्रेट, कालपी, 1962 से 1973 तक ब्लाक प्रमुख, कदौरा ब्लाक, 1967 व 1968 में डायरेक्टर, जिला सहकारी बैंक तथा वर्ष 1967 से सदस्य, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समिति के रहे। वे अपने जीवन के अन्तिम दिनों तक शासन द्वारा मनोनीत सहकारी बैंक, उरई के सदस्य रहे। वे एक उच्च कोटि के समाजसेवी भी रहे हैं। उनके निधन से इस प्रदेश की बहुत भारी क्षति हुई है।

स्वर्गीय कुंवर गुरु नारायण का निधन 28 जनवरी, 1979 को सायं 7 बजकर 50 मिनट पर हो गया। वे एक ताल्लुकेदार परिवार से सम्बन्धित थे। कुंवर गुरु नारायण का जन्म 26 फरवरी, 1910 को हुआ था। वे प्रथम बार 1950 से 1952 तक विधान सभा के सदस्य रहे। उसके बाद विधान परिषद् के सदस्य 1952 से 1954 तक रहे। 1954 से 1957 तक वे विधान परिषद् में नेता विरोधी दल भी रहे। कुंवर गुरु नारायण का भारत सेवक समाज से बड़ा गहरा सम्बन्ध था। लखनऊ विश्वविद्यालय तथा अनेक शैक्षिक संस्थाओं से उनका निरन्तर घनिष्ट सम्बन्ध रहा और वे उनकी सेवा अन्त तक करते रहे। वे काफी समय से रक्तचाप से पीड़ित थे और मृत्यु से पूर्व उनको पक्षाघात भी हो गया था। बलरामपुर अस्पताल में उनकी चिकित्सा हो रही थी। ताल्लुकेदार परिवार के होकर भी उनका सम्बन्ध और सहानुभूति साधारण व्यक्तियों से ही थी। उनके निधन से इस प्रदेश की बड़ी क्षति हुई है। विशेषकर लखनऊ को क्षति हुई है।

श्री राम प्रसाद टमटा का निधन 30 जनवरी, 1979 को प्रात: 9.30 बजे सदर अस्पताल अल्मोड़ा में हो गया। आपका जन्म 11 फरवरी, 1911 को हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने बी0 ए0 की उपाधि प्राप्त की थी और उसक उपरान्त उसी विश्व-

[श्री बनारसी दास–]

विद्यालय से आपने कानून की डिग्री भी प्राप्त की। सर्वप्रथम श्री टमटा 1937 में इस विधान सभा के लिए निर्वाचित होकर आये थे। वे कांग्रेस टिकट पर आये थे। 3 नवम्बर, 1939 को विधान सभा के निलम्बित होने तक वे उसके सदस्य रहे। 1946 से 1951 तक वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य रहे। इसके बाद 1952 में वे राज्य सभा के लिये निर्वाचित हुए और 1958 तक वे वहां के सदस्य रहे। 1958 से 1966 तक वे रेलवे सेवा आयोग के भी सदस्य रहे। पहाड़ी क्षेत्र का वे प्रतिनिधित्व करते थे और बड़े ही प्रगतिशील विचारों के थे। उनका विशेष सम्बन्ध पहाड़ों की परिगणित जातियों से रहा है। उनका परिवार बड़ा ही शिक्षित एवं सुसंस्कृत रहा है। आपके निधन से इस प्रदेश की और विशेषकर पहाड़ी जनता की अपार क्षति हुई है।

श्री राजकुमार वैद्य का निधन 2 जनवरी, 1979 को सायंकाल 4.25 पर हृदय गति रुक जाने से हो गया। आपका जन्म 30 अक्तूबर, 1910 को मुरादाबाद जनपद में सम्भल में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के वे एक बड़े सेनानी थे और स्वतंत्रता आन्दोलन में कई बार जेल भी गये थे। उनका सारा जीवन समाज सेवा में ही बीता। सर्वप्रथम वे 1957 में अमरोहा क्षेत्र से एक निर्दलीय सदस्य के रूप में इस विधान सभा में चुन कर आये थे। वे सन् 1947 से 1962 तक इस सदन के सदस्य रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कई मास उन्होंने काफी यातनायें सही। उनके निधन से इस प्रदेश की काफी क्षति हुई है।

इन सातों दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं अपनी तथा इस सदन की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन है कि आप उन सभी के सन्तप्त परिवारों तक हमारी समवेदना भेजने का कष्ट करें। हम उन दुखी परिवारों के प्रति अपनी समवेदना प्रकट करते हैं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, लगभग सदन के प्रत्येक सत्र में हम सबका यह दुखद दायित्व होता है कि इस सदन की शोभा बढ़ाने वाली दिवंगत विभूतियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज भी 7 दिवंगत विभूतियों के सम्बन्ध में उल्लेख माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। मैं भी इन दिवंगत विभूतियों के प्रति अपने दल की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि के शब्द प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री लोकपाल सिंह के प्रति मुझे व्यक्तिगत परिचय का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एटा जिले के दौरे पर जब कभी मैं गया तो उनकी लोकप्रियता के बारे में जानकारी हुई। उनका निष्ठावान होने का प्रमाण इससे मिलता है कि उन्होंने अपने विचारों पर दृढ़ निश्चय होकर इस विधान सभा की सदस्यता से भी त्याग-पत्र दे दिया। यह उनकी दृढ़ प्रतिज्ञता का परिचायक है। कृपया श्रीमन्, उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हम सबकी समवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

स्वर्गीय श्री मोहन लाल वर्मा एक संघर्षशील और प्रेरणादायक और समाजसेवी रहे, चाहे स्वतंत्रता सेनानी के रूपमें, चाहे शिक्षा संस्थाओं के निमित्त थे, वह एक रचनात्मक व्यक्ति थे चाहे नेत्र चिकित्सालय, हरदोई को बनाया हो, चाहे उन्होंने डिग्री कालेज की स्थापना की हो, चाहे कृषक समाज की स्थापना किया हो, जिन संस्थाओं की स्थापना उन्होंने की, वह सदैव रचनात्मक रही हैं। उनका राजनैतिक, सामाजिक जीवन बहुत उत्तम रहा है। मोहन लाल वर्मा जी के निधन से हरदोई जनपद में एक शून्यता छा गयी है। उनके व्यक्तित्व का हम सदैव स्मरण करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री लोकपाल सिंह, मोहन लाल वर्मा, राम सुन्दर पांडेय, वीर सिंह सेंगर, कुंवर गुरु नरायण, राम प्रसाद टमटा तथा राम कुमार वैद्य के निधन पर शोकोद्गार

स्वर्गीय माननीय राम सुन्दर पाण्डेय पूर्वांचल की आवाज सदैव 18 वर्ष तक इस सदन में तथा इस सदन के बाहर उठाया करते थे। आज भी हम विधान सभा की कार्यवाही उठा कर देखें, चाहें वह आजमगढ़ जनपद के हों, चाहे वह पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के हों, वह निर्बल वर्ग की समस्याओं के बारे में, आज भी हम देखते हैं कि वह कैसे प्रश्न विधान सभा में लिखते थे उनके द्वारा लिखे गये प्रश्न शायद ही कभी रिजेक्ट होते हों। उनको किसी प्रकार मना करने का प्रश्न नहीं उठता था। जो बड़े-बड़े नेता हैं, उनका प्रश्न रिजेक्ट नहीं करते थे। आजमगढ़ जनपद की वह शोभा थे। तो ऐसे व्यक्ति और ऐसे विलक्षण कार्यकर्ता का उठ जाना वास्तव में दुखद है।

श्री वीर सिंह सेंगर कालपी, जिला जालौन से उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने विधान सभा तथा संस्थाओं में भी अपने कर्तव्यों का पालन किया। मुझे जब उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब मुझे यही अनुभव हुआ कि वह विषय की गहराई तक पहुंचने वाले व्यक्ति थे। वह कम बोलने वाले व्यक्ति थे।

स्वर्गीय माननीय कुंवर गुरु नारायण जी सदन में विरोधी दल के नेता रहे। पायनियर अखबार में निदेशक मण्डल में रहे। उनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। उनका एक बहुधन्धी व्यक्तित्व था और और वे जीवन में कभी आराम से नहीं बैठ सकते थे। यह उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी और हमेशा किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगे रहते थे।

श्री राम प्रसाद टमटा पर्वतीय क्षेत्रों के विषय में हमेशा जागरूक रहे। वह चाहे रेलवे सर्विस कमीशन के अध्यक्ष रहे हों चाहे जीवन बीमा निगम के निदेशक रहे हों उनकी कमी पूरी नही हो सकती। आज भी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में सभायें हो रही हैं उनको श्रद्धांजलियां अर्पित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में जो किया है उसी कारण वे पर्वतीय क्षेत्रों में हमेशा याद रहेंगे।

श्री राम कुमार वैद्य जो अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये थे, उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके स्वभाव, उनकी शिष्टता, शीलता और मृदुता के बारे में उनके प्रशंसक थे। हमारे गरीब जन-जीवन में उनका अपना एक स्थान था। उनके निधन से गरीबों के जीवन में एक कमी आयी। श्रीमन्, मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी समवेदनायें कृपया इन सभी विभूतियों के शोक-सन्तप्त परिवारों तक भेजने की कृपा करें।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, 7 दिवंगत विभूतियों के बारे में जो भावनाएं माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त की है मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि शोक सन्तप्त परिवार तक मेरी भावनायें पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री लक्ष्मी शंकर यादव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा श्री ऊदल जी ने जो विचार प्रकट किये हैं 7 दिवंगत विभूतियों के बारे में, मैं अपने आपको अपने दल के साथ उससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री लोकपाल सिंह जी, जैसा कि कहा गया है, अपने वसूलों के बड़े मजबूत थे और अपने उसूल को पूरा करने के लिए वह कोई भी त्याग करने को तैयार रहते थे। यही कारण था कि विधान सभा की सदस्यता का समय पूरा होने से पहले ही उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। लोकप्रिय थे वे अपने जिले में।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

श्री मोहन लाल वर्मा हरदोई जिले में काफी प्रसिद्ध थे। चाहे वे राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में हों, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में या किसी भी रूप में, जहां भी वे रहते थे चाहे किसी सहकारी आन्दोलन में रहे हों, बड़े प्रिय रहते थे और एक अच्छी-खासी विचारधारा के आदमी थे। वे जो निश्चय कर लेते थे उससे वे फिर डिगते नहीं थे। उसके लिये उन्हें चाहे जो भी संघर्ष करना पड़े और जो भी बलिदान करना पड़े उसके लिये वे हमेशा तैयार रहते थे। एक बहुत ही बहादुर व्यक्तित्व के वे रहे।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय के विषय में नेता विरोधी दल ने काफी कहा। मेरे तो वे पड़ोसी व साथी थे। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि जितना भी हमारे प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र है या पिछड़े जिले हैं या पिछड़े लोग होते थे वे सभी के लिए लड़ते थे और उन्होंने कोई लाभ के लिए यह कभी नहीं किया। इसके लिए अधिक से अधिक सक्रिय रहने की कोशिश करते थे।

श्री वीर सिंह सेंगर का सहकारी संस्थाओं में अच्छा योगदान था और अब वे हम लोगों के बीच नहीं रहे।

माननीय कुंवर गुरु नारायण हमारे प्रदेश के जाने माने ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। भारत सेवक समाज में उनका सक्रिम हाथ था। जहां भी जिस भी संस्था में वह रहे, जिस भी सदन के सदस्य रहे वहां उन्होंने सक्रिय रूप से कार्य किया।

श्री टमटा जी का पर्वतीय क्षेत्र में खास तौर से विशेष महत्व था। वह एक अच्छे समाजसेवी थे। निर्बल और हरिजनों के सहारा थे। उनके निधन से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति जल्दी होना मुश्किल है।

श्री राम कुमार जी वैद्य मुरादाबाद में बहुत लोकप्रिय थे। जैसा पहले कहा जा चुका है मैं इन सातों दिवंगत विभूतियों के प्रति अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवारों तक हमारा और हमारे दल की ओर से समवेदना संदेश भिजवाने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, माननीय लोकपाल सिंह, माननीय मोहन लाल वर्मा, माननीय राम सुन्दर पान्डेय, माननीय वीर सिंह सेंगर, कुंवर गुरु नारायण, माननीय राम प्रसाद टमटा, माननीय राम कुमार वैद्य के निधन से आज हम सभी दुखी है। जैसा कि इन महान् विभूतियों के बारे में माननीय नेता सदन ने बताया मैं उनसे अपने को और अपने प्रगतिशील विधायक दल को संबद्ध करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवारों तक हमारी समवेदना भेजने का कष्ट करें। इन सातों विभूतियों में से मुझे माननीय मोहन लाल वर्मा जी के नजदीक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके बारे में जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा कि वह हरदोई की आत्मा थे, उसमें कोई शक नहीं है। उनके उठ जाने से हरदोई की अपार क्षति हुई है जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। एक ओर उनका संघर्षशील जीवन था और दूसरी ओर उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति थी। रचनात्मक कार्य जितना हरदोई के लिये उनका रहा है, शायद राजनीतिक क्षेत्र में उतना हरदोई के लिये किसी का नहीं रहा है। पिछड़े वर्गों के लिये वह दिन रात चिन्तित रहते थे। सदैव पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिये वह चिन्तित रहते थे और चिन्तित ही नहीं बल्कि ऊपर उठाने की कोशिश करते थे। इस प्रकार से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में इन सातों विभूतियों का योगदान रहा है। मैं

अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इन विभूतियों के प्रति पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन शोक सन्तप्त परिवारों तक हमारा समवेदना का संदेश पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इस माननीय सदन में यूं तो समय-समय पर निधन के प्रस्ताव माननीय नेता सदन की ओर से आये हैं लेकिन आज जो 7 दिवंगत विभूतियों के बारे में, माननीय लोकपाल सिंह, माननीय मोहन लाल वर्मा, माननीय राम सुन्दर पांडेय, माननीय वीर सिंह सेंगर, माननीय कुंवर गरू नारायण, माननीय राम प्रसाद टमटा, माननीय राम कुमार वैद्य के बारे में निधन का प्रस्ताव आया है। इसको देखने में मालूम होता है कि पूरे प्रदेश के हर अंचल से—पहाड़, पूर्वी क्षेत्र, बुन्देलखण्ड, मध्य, पश्चिमी—कोई न कोई सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं रहा है। इसलिये जैसा माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी माननीय नेता प्रगतिशील विधायक दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल, भारतीय सोशलिस्ट पार्टी को संबद्ध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप उनके दुखी परिवारों को मेरे और मेरे दल की ओर से समवेदना का प्रस्ताव भेजने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता साम्यवादी दल, माननीय नेता कांग्रेस (आर0), नेता श्री राम आसरे वर्मा और माननीय श्री रियासत हुसैन ने हमारी इस विधान सभा के 7 माननीय सदस्यों श्री लोक पाल सिंह, श्री मोहन लाल वर्मा, श्री राम सुन्दर पांडेय, श्री वीर सिंह सेंगर, कुंवर गुरु नारायण, श्री राम प्रसाद टमटा और श्री राम कुमार वैद्य के बारे में जिनका निधन हो गया है, अपने-अपने विचार उनकी जीवनी के बारे में, उनकी सामाजिक सेवाओं के बारे में विस्तारपूर्वक रखे हैं। श्री लोक पाल सिंह, जनसंघ के टिकट पर इस विधान सभा में चुनकर आये थे। उनका कार्य समाज सेवा था और गो-हत्या आन्दोलन के सम्बन्ध में उन्होंने इस माननीय सदन से इस्तीफा दिया था और जैसा नेता विरोधी दल ने कहा है कि वह उनकी एक बहुत बड़ी कुरबानी थी।

श्री मोहन लाल वर्मा अपने आप में एक थे। जब स्वतंत्रता संग्राम के लिये संघर्ष चल रहा था वह अपने विद्यार्थी जीवन में ही स्कूल छोड़कर 1930 में नमक आन्दोलन में गांधी जी के साथ आकर कांग्रेस में शामिल हुए और संघर्ष किया। वह कई बार जेल गये और हमारी इस विधान सभा के वह सदस्य भी रहे हैं। वर्ष 1957 में वह प्रजा समाजवादी दल के टिकट पर चुनकर आये और 1962 में वह पुनः कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये। उनका कार्य हरदोई जिले और उसके आस-पास में ठोस रहा है। उन्होंने विद्या अध्ययन और शिक्षा संस्थाओं के कार्य पर जोर दिया और बहुत बड़ा कार्य हरदोई में किया। उनका जीवन एक ठोस कार्यकर्ता के रूप में अनुकरणीय रहा है। उनके निधन से इस प्रदेश को बहुत बड़ी हानि हुई है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय जी समाजवादी दल के टिकट पर 1952 में चुनकर आये थे। यदि माननीय सदन की कार्यवाहियों को देखें तो विधायी कार्यों में विधेयकों में जो संशोधन आते थे और सदन में प्रश्न करने का उनका जो तरीका था वह बहुत ही अच्छा था। उनके सत्र में जितने प्रश्न उन्होंने किये हैं शायद ही और किसी ने किया हो। वह पूर्वी अंचल के एक अच्छे समाजसेवी थे। उनके निधन से पूर्वी अंचल की विशेष क्षति हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]

कुंवर गुरु नारायण बहुत अच्छे विधायक इस सदन के रहे हैं । उनका ताल्लुक मौंरावां जिला उन्नाव से था । राजनीति में पदार्पण सबसे पहले उन्होंने जिला बोर्ड, उन्नाव के अध्यक्ष पद से किया और दसियों साल तक वह अध्यक्ष वहां के रहे । इस कार्यकाल में उन्होंने वहां बहुत बड़े-बड़े कार्य किये हैं । उसके बाद लखनऊ में रहकर पायनियर और स्वतंत्र भारत के बहुत दिनों तक वह डाइरेक्टर रहे और एक प्रमुख भूमिका निभायी । मरते दम तक भारत सेवक समाज से उनका ताल्लुक रहा । वह विधान परिषद् के सदस्य और नेता विरोधी दल भी रहे हैं । उनकी सेवायें अमर रहेंगी और लोग उनका नाम आदर से लेंगे ।

श्री राम प्रसाद टमटा पहाड़ी अंचल के अच्छे कार्यकर्ता थे तथा हरिजन और निर्बल वर्ग के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे और दिलचस्पी लेते रहते थे । श्री राम कुमार वैद्य विधान सभा के सदस्य रहे और सन् 1957 में चुनकर आये थे, निर्दलीय सदस्य के रूप में । उनका जीवन साहित्यिक था और हमारे कमरे के निकट ही उनका कमरा था । बराबर हम और वे विधायी कार्यों में दिलचस्पी लेते थे और वे एक अच्छे वैद्य थे । उनके निधन से बड़ी क्षति हुई है ।

मैं सभी नेताओं की ओर से और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से इन सबकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करता हूं और शोक सन्तप्त परिवार के सदस्यों के प्रति इस माननीय सदन की ओर से समवेदना प्रकट करता हूं । आप दो मिनट अपने स्थान पर खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए मौन खड़े हुए ।)

अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

व्यवस्था का प्रश्न किस बात पर, जब सदन में कोई चीज रखी ही नहीं रही है तो व्यवस्था प्रश्न कहां उठता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उनको इजाजत दे दी है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, नियमावली के अध्याय 3 में अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गयी है । उसमें लिखा है कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो । यदि सभा उस समय उपवेशन में हो तो रिक्तता होने के तथा, यदि वह उपवेशन में न हो तो उस दिनांक के अब सभा तदुपरान्त पहली बार समवेत हो, पन्द्रह दिनों के भीतर होगी । हम जानना चाहते हैं कि क्या राज्यपाल ने यह निदेश दिया कि आज के 15 दिन बाद अध्यक्ष का चुनाव हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे यहां से तो उसी दिन लिखकर चला गया था । फिर बाद में भी लिखकर चला गया । इसके लिये तारीख राज्यपाल महोदय निश्चित करते हैं । उनके यहां से तिथि निश्चित होकर आ जायेगी तो आपको सूचित कर दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1979†

आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1979 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979†

आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1979†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर, (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1979 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1979

आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979†

आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

आज की कार्यसूची के मदों में मुख्य मंत्री के नाम छपे होने तथा दो उप मुख्य मंत्रियों के कार्य वितरण के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जितना एजेंडा छपा है वह सब मुख्य मंत्री के नाम से छपा है । अब तो मंत्री हो गये हैं और उनके नाम से छप सकता था। एक ही मंत्री लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है जब कार्यसूची छपने के लिये गयी थी तो सारी सूचनायें मुख्य मंत्री के नाम से थी। उस समय तक पोर्टफोलियो का वितरण नहीं हुआ था । इसमें कोई अवैधानिक बात नहीं है । जो विभाग जिस मंत्री से संबद्ध होगा, वह उसको पढ़ देंगे ।

---

†छपा नहीं गया ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज यह पहला दिन है कि एक मुख्य मंत्री और दो उप मुख्य मंत्री इस माननीय सदन में बैठे हैं । अब जो कान्सटीट्यूशन के अन्दर हवाला दिया हुआ है, उसमें चीफ मिनिस्टर और कौंसिल आफ मिनिस्टर का जिक्र है । लेकिन अब चूंकि दो-दो की शक्ल में उप मुख्य मंत्री बैठे हैं, तो इनकी कार्य-प्रणाली में डिवीजन आफ वर्क किस तरह से है ? मान्यवर, या तो माननीय सदस्यों को आप बता दें या कृपा कर उस तरफ से इस संबंध में कुछ आ जाय कि इन दो-दो उप मुख्य मंत्रियों के क्या अधिकार होंगे क्योंकि कान्स्टीट्यूशन में तो इसके बारे में कुछ है नहीं, ताकि हम लोगों को मालूम हो जाय और उसी के मुताबिक हम लोग चल सकें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब वह बाद में मालूम हो जायेगा, अब हम आगे चलते हैं ।

श्री देवबहादुर सिंह—

मान्यवर, इस प्रदेश में दो उपमुख्य मंत्री बनें । मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में क्या दो-तीन मुख्य मंत्री भी तो नहीं ये बनायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके जवाब दिलाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता । आप कृपया बैठ जायं।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, दो मुख्य मंत्री रहें, या 10 मुख्य मंत्री रहें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं । प्रश्न केवल इतना है कि उपमुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री के क्या अधिकार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम आगे चलते हैं, आप लोग कृपया शांत रहें । मुख्य मंत्री नं08 .....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, आपने कहा 'मुख्य मंत्री नं० 8 तो क्या प्रदेश में 8 मुख्य मंत्री हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अपने को शुद्ध किये देता हूं । आइटम नं० 8

पंचायत संस्थाओं के सम्प्रेक्षण का वार्षिक प्रतिवेदन, 1975–76+

आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायत संस्थाओं के सम्प्रेक्षण का वार्षिक प्रतिवेदन 1975–76 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

सदन के पटल पर रखने हेतु प्राप्त उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, 1975–76 का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

आइटम नं09 को स्थगित करता हूं । मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त को आपत्ति देख ली है । इसक प्रथम पृष्ठ पर फस्ट एनुअल रिपोर्ट 1975–76 अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हालांकि अन्दर हिन्दी में इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसको स्थगित करता हूं ।

+ छापा नहीं गया ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, इसी से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उसको मान लिया है । अब इसकी इजाजत नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था की बात है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें कोई व्यवस्था की बात है ही नहीं ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 +

उप मुख्य मंत्री (श्री नारायण सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 90/रा-2-7(1)-1978 दिनांक 4 जुलाई, 1978, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

सदन के पटल पर रखने हेतु प्राप्त उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, 1975-76 का स्थगन (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

आइटम नं09 के बारे में आपने क्या व्यवस्था दी ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको मैंने स्थगित कर दिया है । पहले आप माननीय मुख्य मंत्री जी की बात सुन लें ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो आपत्ति की है, नियमावली के नियम 282 क अनुसार सभा की भाषा संविधान के उपबन्धों के अधीन हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगी।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

यह आपकी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं ।

श्री बनारसी दास--

श्री मैनेजर सिंह जी, अगर आप धैर्य रखें तो अच्छा होगा । आपने यह कहा कि मैं इसको स्थगित कर रहा हूं इस पर श्री राजेन्द्र गुप्त ने आपत्ति की और नियमों की ओर ध्यान आकर्षित किया । इस सदन में जो नियमावली का हवाला दिया गया है उस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें ।

+ छापी नहीं गयी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आपने यह कहा कि इस आइटम को स्थगित किया जाता है, इस पर आप विचार करेंगे । विचार करने के वक्त आप माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बुला सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी को भी बुला सकते हैं और हम लोगों को भी अगर आप बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हैं और उसके बाद आप अपनी व्यवस्था देंगे । इसलिये जिन नियमों का हवाला माननीय मुख्य मंत्री जी दे रहे हैं इस बारे में यह सब वहीं आ जायें और बात कर लें । मैं समझता हूं कि आप भी नियमों को पढ़ लिये होंगे या बाद में पढ़ लेंगे । इसलिये अब फिर से उठाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक ह, मैं बाद में माननीय मुख्य मंत्री जी और दूसरे नेताओं से विचार-विमर्श करके अपनी व्यवस्था दूंगा ।

उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफार्मर (चोरी का निवारण और दंड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978†

विद्युत मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विद्युत अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या 5242-पी-3/78-23, दिनांक 8 दिसम्बर, 1978 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रासफार्मर (चोरी का निवारण और दंड) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण का वार्षिक कार्य विवरण 1975–76 और 1976–77, कानपुर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवदन 1975–76 और 1976–77, वाराणसी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन, 1975–76 और 1976–77 तथा इलाहाबाद व आगरा विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवदन, 1976—77 को सदन के पटल पर रख जाने पर आपत्ति तथा स्थगन

चिकित्सा मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लखनऊ विकास प्राधिकरण का वार्षिक कार्य-विवरण 1975-76 और 1976-77 कानपुर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 1975-76 और 1976-77 वाराणसी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन 1975-76 और 1976-77 इलाहाबाद विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77 तथा आगरा विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77 को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 23 के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, आइटम 12 के संबंध में कृपया मेरी बात सुन लें । मुझे यह कहना है कि आप देखें कि 3 पुस्तिकायें, प्रतिवेदन सभा पटल पर रखी गई हैं । एक तो मेरी आपत्ति यह है कि वाराणसी, इलाहाबाद तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की दो रिपोर्ट्स पर तो अधिकारियों के दस्तखत हैं लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट पर किसी अधिकारी के दस्तखत नहीं है । दूसरा 1975-76 की वाराणसी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है और 1976-77 की लखनऊ एवं इलाहाबाद की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है और आज हम 1979-80 में चल रहे हैं । ऐसी सूरत में इतना विलम्ब क्यों हुआ ? जब मुख्य मंत्री आपके पद पर थे उस समय भी आपत्तियां होती थीं और वह निर्देश देते थे विलम्ब

†छापी नहीं गयी ।

के संबंध में लिहाजा मैं जानना चाहता हूं कि यह विलम्ब क्यों हो रहा है ? दूसरे, लखनऊ की रिपोर्ट बिना किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के कैसे प्रस्तुत कर दी गयी है ? लिहाजा लखनऊ की रिपोर्ट को न माना जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको हम देख लेंगे ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

आप इसे देख तो लेंगे, लकिन जब तक आपका निर्णय नहीं हो जाता तब तक इसे पटल पर नहीं रखा जा सकता । पहले आप इसे स्थगित कर दें ।

श्री श्यामधर मिश्र—

वाराणसी तथा इलाहाबाद की रिपोर्ट में अधिकारियों के नाम नीचे दिये हुए हैं लेकिन लखनऊ की रिपोर्ट में नहीं दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री इसे देख कर कल पेश कर दें।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 †

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 2928-टी/तीस–435-पी-77, दिनांक 16 सितम्बर, 1978 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 3823-टी/ तीस–4-37-प्री–77, यू0पी0 ए0 15-1964 रूल्स ए0एम0 (1) 1975-ए0एम0 (11) 1978, दिनांक 16 सितम्बर, 1978 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 की धारा 32 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना नियमावली, 1978†

आबकारी मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 866-बी/यू0पी0ए0–33–1961–रूल–1978, दिनांक 29 जुलाई, 1978 द्वारा प्रख्यापित स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (स्थानीय विकास योजना के अधीन सहायक अनुदान) नियमावली, 1978†

आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2865-बी0/यू0पी0 ए0-33-1961 रूल-1978, दिनांक 29 जुलाई, 1978 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (स्थानीय विकास योजना के अधीन सहायक अनुदान) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1978 †

आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मैं पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या यू0ओ0 266-डी0-33-2-यू0पी0 ए0-33-1961-रूल-1965-ए0-एम(4)-78, दिनांक 15 सितम्बर, 1978 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978†

आबकारी मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 4554-बी/यू0पी0 ए0-33-1961-रूल-1978, दिनांक 24 नवम्बर, 1978 द्वारा प्रख्यापित स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (दसवां संशोधन) नियमावली, 1978†

उप मुख्य मंत्री (राजस्व) (श्री नारायण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राजस्व अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या 244-1-5(8)/70-रा0-1-उ0प्र0 अधि0-1-61-नियम-61-संशोधन(10)-78, दिनांक 30 नवम्बर, 1978 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (दसवां संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य भन्डारागार निगम, लखनऊ का 19वां वार्षिक लेखा विवरण 1976-77 ††

आबकारी मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, लखनऊ का 19वां वार्षिक लेखा विवरण 1976-77 को दि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) क अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

††छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978 को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति

श्री उपाध्यक्ष—

आइटम नं021, माननीय संसदीय कार्य मंत्री.....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आइटन नं0 21 जो है उसमें कूपनों के बारे में व्यवस्था है और यह प्रतिबन्ध है कि 500 से अधिक नहीं दिये जायेंगे । इसमें विवरण देने की भी बात है तो इसको आप देख लें और व्यवस्था करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नियम तो परिचालित हो चुका है । इसमें कोई संशोधन लाना चाहें तो ला सकते हैं।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

तो इस समय आप इसे स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी उन्होंने इसे सदन के पटल पर रखा है । वह परिचालित हो चुका है । कोई संशोधन आवश्यक होगा तो उसे ले आवें । स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रियासत हुसन (जिला मुरादाबाद)—

यह सारे माननीय सदस्यों से संबंधित है । इसलिये इसे सदन के पटल पर आने से पहले ही सब माननीय नेताओं और माननीय मंत्रियों को इस पर विचार कर लेना चाहिये। यह किलोमीटर से कश में तबदील हुआ है । तो अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इसे पहले ही देख लें तो संशोधन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी । आप स्वयं इस बात को देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है इसलिये यह लाया गया है।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नियम सदन के पटल पर रख जा चुके हैं और माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वे उन नियमों पर विचार कर सकते हैं और जैसा कि माननीय रियासत हुसैन जी ने कहा, उनके विचारों को भी, यदि वे नियमों पर विचार करना चाहते ह तो वे अवश्य इसमें नोटिस दे दें, विचार हो जायेगा । यदि आप चाहते हैं कि उपलब्धियों के संबंध में विचार विमर्श किया जाय तो इन नियमों के बारे में समस्त नेताओं और अन्य लोगों से विचार विमर्श करूंगा और यदि संशोधन आवश्यक हुआ तो आपके सुझावों पर भी विचार किया जायेगा और जो उचित होगा उन्हे भी पूरा किया जायेगा ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

पूरी उपलब्धियों के संबंध में होना चाहिये।

श्री बनारसी दास—

यह नियमानुसार सदन के पटल पर रखा गया है । आप संशोधन लाना चाहते हैं तो उसकी नोटिस दे सकते हैं इससे पहले मैं विचार करूंगा।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
यह सरकार की तरफ से हों ।

(वित्त मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री श्याम धर मिश्र—
ये वित्त सचिव तो हर बात स्थगित कर देते हैं ।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—
मैं वित्त सचिव नहीं हूं, वित्त मंत्री हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1978†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से संसदीय अनुभाग की अधिसूचना संख्या 3942 सं/सत्रह-78-275-से-69, दिनांक 31 दिसम्बर, 1978 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 में किय गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 47 पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1978 में किए गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1958 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(संशोधनों के लिये देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 48 पर)

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह अभी सचिव महोदय ने जिस नत्थी का विवरण पढ़ा, जिस आईटम को उन्होंने सदन के पटल पर रखा है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसे आप देखें यह कानून का मसला है जहां आप कामा के लिये संशोधन एलाऊ कर रहे हैं इसमें शाब्दिक और आनुषंगिक संशोधनों का विवरण रख रहे हैं, उसमें आप नत्थी 'क' देखें, उसमें आपने लिखा है कि उपबन्ध के स्थान पर उपबन्धों कर दिया जाय।

---

† छापी नहीं गई ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य इसे लिख कर भेज दें ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

क्या लिख कर भेजें ? यह क्या संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

सचिव सदन में किसी कानून में अशुद्धियों को ठीक करने का प्रस्ताव रख रहे हैं लेकिन उसकी छपाई में कितनी लापरवाही और असावधानी बरती गई है, उसको आप देखें ।

श्री उपाध्यक्ष—

भविष्य में इस का ख्याल रखा जायगा।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

जितनी नत्थी उन सबमें गलती है । आप जरा देखें इसमें लिखा है "वाउचर" के स्थान पर "वाउचर" कर दिया जाय। इस प्रकार के आप संशोधन करा रहे हैं । अगर इस प्रकार यह पारित हो गये तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह पारित नहीं होना है, नियम के अन्तर्गत सदन के पटल पर रख रहे हैं। यह 'कामा' और 'फुलस्टाप' की गलती है । यह प्रेस में छपने में हुई है । भविष्य में इसके लिए हिदायतें दे दी जायेंगी और व्यवस्था की जायेगी ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

हिदायत आप ने दे दी आपकी कृपा है लेकिन इतनी बड़ी गलतियां सामने आ रही है इसके लिये आवश्यक है कि इसे स्थगित कर के दुबारा छपवाकर दूसरे दिन ले आये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिये इसे स्थगित करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके छपने में प्रेस में गलती है आइंदा इसका ख्याल रखा जायेगा।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1978 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1978 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 49 पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 50 पर)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 में किए गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 51 पर)

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 52 पर)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 दिसम्बर, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का 35वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1978-79 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1978-79 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1978, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 दिसम्बर,

1978 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का 36वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव विधान सभा—

माननीय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 दिसम्बर, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का 37वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

माननीय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 दिसम्बर, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का 38वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

माननीय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 नवम्बर, 1978 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 2 जनवरी, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री सचिव, विधान सभा—

माननीय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 नवम्बर, 1978 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 2 जनवरी, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

माननीय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 13 दिसम्बर, 1978 क उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक

28 दिसम्बर, 1978 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 15 जनवरी, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय, (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 अगस्त, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 नवम्बर, 1978 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 12 जनवरी, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 नवम्बर 1978 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 12 जनवरी, 1979 को प्राप्त हो गया और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 अगस्त, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 नवम्बर, 1978 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 12 जनवरी, 1978 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पाठ्य-पुस्तक विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 नवम्बर, 1978 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 15 फरवरी, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

विधान सभा के विगत अधिवेशन के पश्चात् निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई सम्बन्धी सूचनाएं सम्बान्धत अधिकारियों से प्राप्त हुई जिन्हे बुलेटन 31 से 33 द्वारा माननीय सदस्यो को प्रसारित किया जा चुका है।

श्री कमला प्रसाद सिंह (जौनपुर), श्री राजकिशोर तिवारी (जौनपुर), श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (बस्ती), श्री मोहनलाल अहेरवार, (हमीरपुर), श्री मन्नीलाल (हरदोई), श्री मानपाल सिंह (एटा), श्री बिहारी लाल हंस (हरदोई), श्री यशपाल सिंह (सहारनपुर), श्री पुरूषोत्तम दास (मिर्जापुर), श्री अजबल्लभ (बदायूं), श्री मंगलदेव (गोंडा), श्री रामशिरोमणी दुबे (जौनपुर)।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, यह पुरानी लिस्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रामेश्वरनाथ चौबे (बरेली), श्री मंजूर अहमद (मेरठ), श्री बच्चा पाठक (बलिया), श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (चमोली)।

उपर्युक्तों के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ के पत्र दिनांक 5 मार्च, 1979, जो इस सचिवालय में दिनांक 6 मार्च, 1979 को प्राप्त हुआ, के अनुसार माननीय सदस्य श्री नारायण-दत्त तिवारी, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री आरिफ मोहम्मद खां तथा श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जो माह दिसम्बर, 1978 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए थे उनके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत मुकदमे चलाये गये। उनसे शान्ति भंग होने की संभावना समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी। भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत मुकदमें की सुनवाई मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा की गयी और उन्हें जेल प्रवेश की तिथि से अन्तिम निर्णय अर्थात् 2-1-79 तक की अवधि जब कि वे बतौर विचाराधीन बन्दी जेल में रहे, की सजा देकर दिनांक 2-1-79 को मुक्त कर दिया गया। उक्त सूचना भेजने में हुए विलम्ब के लिए जिला मैजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा खेद प्रकट किया गया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

छोड़ दीजिए।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार का कोई प्रश्न अभी मैंने देखा, नहीं आया।

क्षय रोगाश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि क्षय रोगाश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय—दिनांक 19 मार्च, 1979 को 4 बजे अपरान्ह तक।

सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय—दिनांक 19 मार्च, 1979 को 5 बजे अपरान्ह (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)।

एक सदस्य—

किस समिति के निर्वाचन का कार्यक्रम है ?

श्री उपाध्यक्ष—

क्षय रोगाश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में काम करने के लिए सदस्यों का निर्वाचन ।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक 20 मार्च, 1979 को 4 बजे अपराह्न तक ।

मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक 23 मार्च, 1979 को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से 5 बजे अपराह्न तक विधान मन्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा उपर्युक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांतानुसार एकल संक्रमणीय मत (सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट) द्वारा किया जायगा ।

सदस्यों के दल परिवर्तन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि श्री मोहम्मद खलीलुल्लाह कुरैशी (जिला गाजीपुर) तथा श्री मुश्ताक अहमद (जिला वाराणसी), जो अभी तक निर्दलीय सदस्य थे, जनता पार्टी में सम्मिलित हो गये हैं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह लोग निर्वाचन के बाद निर्दलीय कब हुये थे । आप स्वयं निर्दलीय लोगों के नेता थे । उस लिस्ट में ये नहीं थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो मेरे पास सूचना आयी है, उसकी घोषणा मैंने कर दी ।

श्री रियासत हुसैन—

ये माननीय सदस्य क्या अलग चुन कर आये थे ? आप स्वयं नेता रहे हैं । उस लिस्ट में थे नहीं । यह कब से निर्दलीय हो गये, जो दोबारा जनता पार्टी में गये हैं, क्या पोजीशन है ?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह जनता पार्टी के किस घटक में गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह निर्दलीय चुनकर आये थे ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, यह बतावें कि वह जनता पार्टी के किस घटक में गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

यह जो आपने सूचना दी है उसके सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह लोग प्रारम्भ से ही निर्दलीय सदस्य थे और अब जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है या बीच में स्वीकार की थी और पुनः निर्दलीय हो गये थे और अब फिर जनता पार्टी में हो गये हैं । मैं

सदस्यों के दल परिवर्तन की सूचना

आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के सदस्यों की सूची जो पार्टी के अनुसार बनी है वह सही नहीं है। 13 जनवरी, 1979 को जो सूची दी गयी है वह एक विशेष उद्देश्य से गलत बनाकर दी गयी है।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

यह अब तक का नियम है कि कोई सदस्य अगर अपना दल छोड़कर निर्दलीय होना चाहता है तो उस पर किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कोई सदस्य किसी दल में सम्मिलित होना चाहता है तो उसको नेता की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये सदस्य पहले जनता पार्टी में थे लेकिन कुछ समय के लिये स्वर्गीय हबीब अहमद और अन्य दो सदस्यों ने अपने को निर्दलीय घोषित किया और अध्यक्ष ने निर्दलीय बैठने की अनुमति दी। अब उन दो सदस्यों ने जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिये कहा और तत्कालीन नेता सदन ने उसे अध्यक्ष के पास भेजा और जो परम्परा रही है उसी के अनुसार उनको जनता पार्टी में सम्मिलित किया गया है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

इस सम्बन्ध में जनता पार्टी की कार्य समिति के निर्णय की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह पार्टी का काम है। हमारा काम नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने इस विषय पर अनुमति दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कोई अनुमति नहीं दी है। उन्होंने एक आपत्ति उठायी और उसका जवाब माननीय नेता सदन ने दे दिया और यही जवाब मेरी ओर से है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जनता पार्टी के नेशनल हाई कमान्ड में यह गया था और यदि हां, तो उसका निर्णय क्या है?

श्री गोविन्द सिह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेगी जी यह प्रश्न अब समाप्त हो गया।

श्री गोविन्द सिह नेगी—

मान्यवर, जनता पार्टी में क्या हो रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो इस समय कोरम है वह जनता पार्टी के अन्दरूनी मामलों को तय करने क लिये उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, आप उपाध्यक्ष नहीं है, आप कार्यवाहक अध्यक्ष हैं।

श्री सोहन वीर सिह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी एक व्यवस्था चहता हूं। मान लीजिए कि कोई सदस्य अपने आप घोषित कर कि मैं उस पार्टी में सम्मिलित हो गया हूं तो क्या उसकी सूचना पर आप उस पार्टी का सदस्य घोषित करेंगे क्योंकि पार्टी के विधान में कुछ प्रक्रिया और नियम होते हैं। उदाहरणस्वरूप व्यतिगत रूप से अगर मैं कहूं कि मैं सी0पी0 एम0 का सदस्य हूं तो क्या मैं

उस पार्टी का सदस्य मान लिया जाऊंगा। उनकी अपनी पार्टी के कुछ नियम हैं और जब तक उस पार्टी का अधिकृत सचिव आपको सूचना न दे तो क्या आप सदस्य का कहना स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में यही प्रक्रिया है, यदि उस दल का नेता सूचित कर देता है तो उसके आधार पर हम उसकी घोषणा कर देते हैं कि फलां माननीय सदस्य ने फलां जगह से त्याग-पत्र दे दिया और फलां पार्टी में सम्मिलित हो गये हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

इस पर आपत्ति करना उचित नहीं है क्योंकि आपस का द्वन्द चल रहा है। उस समय फैसला करके बाहर बनाया गया। अब उनको कहा गया कि अन्दर बनाया जाय..

श्री उपाध्यक्ष—

यह उनका काम है, हमारा नहीं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दी है, उस पर क्या हुआ है?

श्री उपाध्यक्ष—

इसको मैं कल देख लूंगा।

कार्य-मंत्रणा समिति की शिफारिशों को पुनः कार्य-मंत्रणा समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी 7 मार्च, 1979 की बैठक में दिनांक 8 से 22 मार्च, मार्च, 1979 तक का सदन का निम्नलिखित कार्य-क्रम रखे जाने की संस्तुति की है।

गुरुवार, 8 मार्च, 1979	..	12.30 बजे अपराह्न। औपचारिक कार्य, तथा श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ कर सुनाया जाना, अध्यादेशों, विज्ञप्तियों, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना आदि।
शुक्रवार, 9 मार्च 1979	..	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
शनिवार, 10 मार्च, 1979	..	(ग्यारहवीं शरीफ का अवकाश)
रविवार, 11 मार्च, 1979	..	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 12 मार्च, 1979	..	12 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक (1) वित्तीय वर्ष 1979–80 का आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 1979–80 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। (2) वित्तीय वर्ष 1978–79 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा तथा उनकी मांगों पर मतदान।

(2) 4 बजे अपराह्न से 4.15 बजे अपराह्न तक

वित्तीय वर्ष 1978-79 के अनुपूरक अनुदानों से सम्बन्धित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

4.15 बजे अपराह्न

कामरोको प्रस्ताव, नियम 51 तथा नियम 301 की सूचनायें ।

मंगलवार, 13 मार्च 1979 से रविवार, 18 मार्च, 1979 तक } बैठक नहीं होगी ।

सोमवार, 19 मार्च, 1979 .. श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

मंगलवार, 20 मार्च, 1979 .. श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

बुधवार, 21 मार्च, 1979 .. (शीतला अष्टमी का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।

गुरुवार, 22 मार्च, 1979 .. श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, अभी जो कार्य-मंत्रणा समिति की संस्तुति की सूचना दी गयी है.....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी प्रस्ताव आ जाने दें विधिवत्, फिर आप आपत्ति करें ।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने पर)

आप कृपया बैठें । मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

*श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, हमारे नियमों में शुक्रवार को असरकारी कार्य लेने की व्यवस्था है लेकिन मुझे खेद है कि जो सज्जन शासन की कुर्सियां पर बैठते हैं, वे नियमों की अवहेलना करने लगते हैं और सदन की अवमानना करके इसकी भावना का अनादर करते हैं । यहां पर यह परम्परा रही है कि कार्य-मंत्रणा सामात के सुझाव बिना किसी विवाद के सदन स्वीकृत करता रहा है । पिछले सत्र में जब हम लोगों ने यहां पर अपना विरोध असरकारी दिवस न दिये जाने के संबंध में किया था तो सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी । मेरा विश्वास था कि सत्ता पक्ष के लोग मदान्ध नहीं रहेंगे और असरकारी दिवसों की व्यवस्था करेंगे जो नियमानुसार होनी चाहिये । मुझे खेद है कि जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें कल का दिन जो असरकारी दिवस होना चाहिये था, सरकारी कार्य के लिये ले लिया गया है । मैं ऐसा समझता हूं कि सत्ता में बैठने के बाद यह सरकार मदान्ध हो गयी । हमारे मुख्य मंत्री जी जब अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते थे तो इसके लिये सदा उपदेश दिया करते थे, मगर आज मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठने के पश्चात वे भी मदान्ध हो गये । इस कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले इन्होंने असरकारी दिवस का हनन किया । यह प्रजातन्त्र का घोर अनादर है । कल सरकारी कार्य न लिया जाये और असरकारी कार्य लिया जाये, इसके लिये इसको पुनः कार्यमंत्रणा समिति में विचार के लिये भेजा जाये, यह मेरा प्रस्ताव है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम 23 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसके उपनियम (1) के अनुसार बिना आपकी अनुमति के असरकारी दिवस नहीं काटा जा सकता। कोई अन्य कार्य उस दिन बिना आपकी अनुमति के नहीं लिया जा सकता। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे पुनः विचार के लिये कार्य मंत्रणा समिति में भेजा जाये। माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

इसमें कुछ ऐसे की मूल दिखायी दे रही है, कार्यक्रम में, इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 12 मार्च को लेखानुदान पेश होगा और पास किया जायेगा उसी दिन लिखा है कि वित्तीय वर्ष 1978-79 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा तथा उनकी मांगों पर मतदान। इससे यह पता नहीं चलता कि यह अनुपूरक अनुदान पेश कब किये जायेंगे। अगर 12 को ही पेश किये जायेंगे तो हमको पढ़ने का अवसर कब मिलेगा? इतनी जल्दी कोई कम्प्यूटर ही हिसाब लगा सकेगा। अगर उसी दिन पेश होगा और उसी दिन चर्चा होगी तो यह तो सम्भव नहीं होगा। पढ़ने का समय हम लोगों को मिलेगा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल ने जो आपत्ति उठायी है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तिथि तो माननीय राज्यपाल निश्चित करते हैं। यह सम्भवतः आज ही प्राप्त हो जायेगा और कल यहां 9 तारीख को वे पेश कर देंगे।

माननीय मैनेजर सिंह और माननीय तिवारी जी ने जो कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव है, इसके बारे में यहां पर आपत्ति उठाई .....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा संशोधन भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जरा रुक जाइये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्वाइन्ट आफ आर्डर, मान्यवर, जब कोई तिथि निश्चित ही नहीं की गयी है, तो हम इस पर विचार कैसे करेंगे? सदन में यह बताया गया कि राज्यपाल महोदय ने कोई तिथि अभी निश्चित नहीं की है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सूचना टेलीफोन के ऊपर प्राप्त हो गयी है कि उन्होंने स्वीकृति दे दी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

टेलीफोन की सूचना नहीं मानी जाती है, श्रीमन्,...

श्री मैनेजर सिंह--

टेलीफोन के ऊपर 60 लाख रुपये निकल गये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लिखित होना चाहिए। उसका नोटोफिकेशन होना चाहिए। पत्र आना चाहिए। टेलीफोन पर सूचना से काम नहीं चलता।

श्री उपाध्यक्ष--

गवर्नमेंट को उनके कार्यालय ने सूचित किया होगा। वह सूचना आती होगी। उसको सरकार के द्वारा यहां पर पेश कर दिया जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—
क्या यह मानकर कि ऐसा होगा, उसके अनुसार कार्यक्रम लिया जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—
जब तक नोटीफिकेशन न हो जाय तब तक विचार नहीं हो सकता है। यह प्रस्ताव अनकांस्टीटयूशनल है। इस पर विचार नहीं हो सकता। हम सब संविधान की कसम खायें हैं। तो टेलीफोन पर यह काम नहीं चल सकता। संविधान में कोई ऐसा प्राविधान टेलीफोन का नहीं है। इसलिए इसको आप स्थगित करें। श्रीमन, दुबारा कार्य-मंत्रणा समिति की मीटिंग बुलाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष—
मुझे सूचना मिली है कि एल० आर० को भेज रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
भेजा नहीं है, भेज रहे हैं। यह कोई सूचना नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—
मान्यवर, टेलीफोन की सूचना पर कोई कार्यवाही नहीं चल सकती है। माननीय, मेरा नम्रता पूर्वक अनुरोध है, हम लोग देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, कृपया इसे पुनः कार्य-मंत्रणा समिति को वापस भेजवा दें, इस पर पुनः विचार हो जायगा। टेलीफोन की सूचना से काम नहीं चल सकता। जब तक मान्यवर, रिकार्ड पर सूचित न हो जाय तब तक आपके कार्यालय में क्या आया है, महामहिम ने क्या भेजा है, हम उसको बिलकुल नहीं मानते। मान्यवर, किसी भी प्रकार से गुमराह होकर कार्य करने की इस सदन की प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—
आप बात तो सुनें।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—
कार्य-मंत्रणा समिति की मीटिंग में इसे पुनः विचार के लिये भेजा जाय।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति माननीय नेता विरोधी दल ने की, मैं उसे उचित समझता हूं। राज्यपाल महोदय से लिखित स्वीकृति लेखानुदान तथा अनुपूरक बजट के लिए प्राप्त करनी चाहिये थी। अतएव में प्रस्ताव करता हूं कि आज यह जो संस्तुति की है इसको वापस किया जाये कार्य मंत्रणा समिति को और इसे पुनः पेश किया जाय लेकिन मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि श्री मैनेजर सिंह जी अपने विशेषणों को थोड़ा ढंग से पेश करें उन्होंने जो मदान्ध आदि शब्दों का प्रयोग किया है वह संसदीय है अतः इसे वापस लिया जाये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—
माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि यह अनपार्लियामेंट्री बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—
मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति को पुनः वापस कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—
मेरा बस इतना निवेदन है कि कल जो गैर सरकारी दिवस है उसमें सरकारी कार्य न लिया जाये। कल केवल असरकारी काय लिया जाये और उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिश होगी.....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी 3.30 बजे मैं कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुला रहा हूं। इसके पहले जो कार्य मंत्रणा समिति का कार्यक्रम मैंने सूचित किया है उसमें कल श्री राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है उस पर चर्चा होगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

12 तारीख को कोई काम न किया जाय। होली के अवसर पर हम लोगों को आने में कठिनाई होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि 12 तारीख को कोई कार्यक्रम न रखा जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, विरोधी दल के नताओं को संशोधन रखने होते हैं। कल एकदम से ले लिया जायगा तो उसकी हमें कोई सूचना नहीं होगी इसलिए हम नोटिस नहीं दे सकते हैं। तो कल असरकारी दिवस ले लिया जाय और बाद को 12 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

राज्यपाल के अभिभाषण के तुरन्त बाद प्राथमिकता के आधार पर चर्चा चालू कर दी जाती है। उसके बाद में दूसरे कार्य रखे जाते हैं। अभी नेता विरोधी दल या उनका कोई प्रतिनिधि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में रहेगा, उसमें हम निश्चय कर लेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आप से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति का जो फैसला होगा वह होगा लेकिन मान्यवर, गैर सरकारी दिवस जो है वह गर सरकारी दिवस है, वह बिना आपकी अनुमति के नहीं बदल सकता। कल सरकारी दिवस लिया गया है उसको नहीं बदला जायगा?

श्री ऊदल—

मेरा निवेदन यह था कि मैनेजर सिंह जी ने एक प्रश्न उठाया उसके प्रश्न को उठा रहा हूं। पिछले सत्र का भी गैर सरकारी दिवस जो है वह अभी बकाया पड़ा है। यह जो सत्र शुरू हो रहा है, जो हमारी नियमावली में लिखा हुआ है, उसमें कल गर सरकारी दिन है। श्रीमन्, कार्य-मंत्रणा समिति में कल तो मेरी तरफ से कोई गया नहीं था इसलिए कल, जो सरकारी दिवस के रूप में रखा गया है वह सरकारी न रहे। जो गैर सरकारी दिवस है वह घटता जा रहा है, और जो हमारी नियमावली में लिखा है, उसे आप ही दे सकते हैं। आपके अधिकार में है। मैं जानना चाहता हूं कि कल उस पर कोई चर्चा हुई थी, अगर नहीं हुई थी तो कल जो गैर सरकारी दिवस है और जो पिछला बकाया है उसके ऊपर आज की मीटिंग में विचार करें। इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। यह सभी माननीय सदस्यों का अधिकार है और आपसे हम इसकी मांग करते ह।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति में यह आपत्ति रखें, विचार होगा। माननीय नेता साम्यवादी दल उसमें स्वयं होगें।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय नेता सदन ने इसको मान लिया तो फिर आप क्यों कहते हैं कि कल अभिभाषण पर चर्चा होगी। कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा होने दीजिये तथा जो गैर सरकारी दिवस है, आप सदन की भावनाओं को देखते हुए उसको दिलवायें। अगर आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंग और नेता सदन, सदन की भावना ले कर काम नहीं करेंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी? यह हम लोगों के लिये बड़ा कष्ट कर है कि हम सत्ता पक्ष में होकर कहें कि वोट करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह परम्परा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा दूसरे दिन से प्रारम्भ हो जाती है।

श्री मैनेजर सिंह—

ऐसी कोई परम्परा नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, ऐसी कोई परम्परा नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

ऐसी कोई परम्परा नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आप कहते हैं कि परम्परा है । लेकिन ऐसी कोई परम्परा नहीं है । कार्य-मंत्रणा समिति को गैर सरकारी दिवस के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं है । यह तो आपका डिसक्रिशन है । शासन पक्ष को आप निर्देश दीजिये कि गैर सरकारी दिवस पर सरकारी काम नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके नियमों में है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को दूसरे कार्यों के ऊपर प्राथमिकता देनी होगी । यह सदन नियमों से बंधा हुआ है ।

श्री मैनेजर सिंह—

आपने फिर लेखानुदान कैसे रख दिया ? राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आपने लेखानुदान कैसे रख दिया ?

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, आपने चूंकि नियम और परम्पराओं का हवाला दिया कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेक्स्ट डे उसी पर चर्चा होगी तो मेरा निवेदन है कि नियम 23 में है कि "प्रत्येक शुक्रवार को दो बजे अपराह्न से पांच बजे अपराह्न तक असरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा और जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें उसको सरकारी कार्य पर अग्रेता प्राप्त होगी ।"

मान्यवर, यदि दो नियमों में या नियम तथा परम्परा में कन्फ्रन्टेशन है जैसी स्थिति आज है तो आपको निश्चित करना पड़ेगा कि नियम 23 में और अगर दूसरे नियम अथवा परम्परा में टकराव है तो कौन प्रिवेल करेगा । तो मेरा निवेदन है कि जब आप इस कुर्सी पर बैठे हों उसके नाते आप सारे सदस्यों के और सदन के जो भी अधिकार हैं उसके संरक्षक के रूप में हों । अपने को सत्तारूढ़ दल या सरकार से इतना लिप्त न कर लें कि सदन के लोगों को आप में अविश्वास होने लगे । आप इस गंभीरता को समझें । क्योंकि आपके बारे में जो सारे सदन की एक निष्ठा और आदर है उसके प्रति शंका पैदा हो तो ऐसा आप वातावरण न पैदा होने दें । यही मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है उसमें वह यह विश्वास रखें, कि मैं नियमों का ही पालन करूंगा और कहीं भी जहां अपनी व्यवस्थायें और निर्णय देने होंगे उसमें मैं बिल्कुल निष्पक्ष रहूंगा । इस विषय में अब काफी चर्चा हो चुकी है इसलिए अब मैं इजाजत नहीं दूंगा । साढ़े तीन बजे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होगी उसमें सभी बातें आ जायेंगी ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, आपने एक निर्णय दे दिया है । लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो पहले कार्यक्रम की शुरूआत होगी वह धन्यवाद के प्रस्ताव से होगी । अतः आपने जैसा पहले कहा वही कार्यक्रम रहेगा । कल जो गैर सरकारी दिवस है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की जो इच्छा है उसमें सत्ता पक्ष की यह कभी भी इच्छा नहीं है कि उनकी इच्छा का निरादर किया जाय । मैं चाहता हूं कि हर शुक्रवार को गैर सरकारी दिवस रहे और उसमें चर्चा हो तथा सरकारी पक्ष को चर्चा से सहायता मिलती रहे । लेकिन कभी कभी कुछ कठिनाईयां पैदा हो जाती है जिससे आपको जो अधिकार दिये गये हैं, जैसे गैर सरकारी दिवस के सम्बन्ध में तो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है । लेकिन कोशिश रहती है कि जो सब चलें उसमें गैर सरकारी दिवस मिल जाना चाहिये । यह बात इसके पहले

[श्री मधुकर दिघे]--
भी आयी थी तो वायदा किया था और आज भी यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो गैर-सरकारी दिवस है उसमें सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखकर उसका निरादर करन की इच्छा सत्ता पक्ष की नहीं है। इसी के साथ साथ जो कार्यक्रम है उसमें 12 तारीख को जो कार्यक्रम रखा है उसम लेखानुदान पर चर्चा होगी।

श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—
व्यवस्था का प्रश्न है कि नेता सदन ने कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव को वापस ले लिया है कि नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मधुकर दिघे—
सप्लीमेन्टरी के विषय में जो नेता विरोधी दल ने प्रश्न उपस्थित किया कि कार्यमंत्रणा समिति एक सिफारिश करती है, तो उसके संबंध में और राज्यपाल महोदय के आदेश के संबंध में कहना चाहता हूं कि कोई मतभेद नहीं हुआ करता। पता नहीं नेता विरोधी दल ने कैसे इसको विवाद का विषय बना दिया। जब आपके साथ कल थे तो उसमें जो एजेन्डा था उसमें फार्मल तरीके से जैसे पहले कार्य-मंत्रणा समिति में सूचना दी गयी थी, वही कार्यक्रम है। इसलिये जो कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव है और राज्यपाल महोदय की जो सैन्कशन है उस पर विवाद का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। आज साढ़े तीन बजे फिर कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर पुनः विचार होगा।

श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)—
मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे बहुत से साथी इस प्रक्रिया को समझने मे असमर्थ हैं। एक प्रस्ताव आपकी तरफ से आया कार्य-मंत्रणा समिति का। उसमें मैं जहां तक सुन पाया हूं और उस प्रस्ताव की एक कापी हाऊस में दी भी गयी है, तो यह एक सदन की सम्पत्ति बन गयी है। उसमें हमको अधिकार है कि हम अपनी बात कह सकें। उसी अधिकार के तहत हमारे साथियों ने इस पर आपत्ति भी किया और हमारे नेता सदन ने उसको वापस भी ले लिया।

मान्यवर, यह कौनसी बहस हो रही है, मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि प्रस्ताव वापस करने की, मान्यवर, एक प्रक्रिया होती है। किसी प्रस्ताव को हाऊस में रखने की भी एक प्रक्रिया होती है और उसी तरह से किसी प्रस्ताव को वापस करन की भी एक प्रक्रिया होती है। तो, अभी तक नहीं समझ पाया कि वापस हुआ कि नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—
वह वापस हो जायेगा।

श्री शम्भूनाथ—
वह आपके कहने से वापस नहीं होगा। जब तक हाउस की अनुमति न ली जाय, कैसे वापस होगा? तो हाउस की अनुमति ली गयी अथवा नहीं, यह सवाल है। फिर दूसरा सवाल आता है कि बहस आगे क्या चलेगी? अभी तो यही नहीं तय हुआ कि प्रस्ताव वापस हुआ कि नहीं और प्रस्ताव वापस नहीं हुआ, तब तो कोई बात हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—
जो माननीय सदस्य कह रहे हैं . . .

श्री शम्भू नाथ—
मान्यवर, बीच में न बोलें। मेरा प्रश्न है कि क्या इसको वापस ले लिया? क्या इस बात का अधिकार है कि बिना हाउस के एप्रूवल के वापस हो सकता है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रस्ताव अभी है और वापस नहीं हुआ। इसके बारे में, मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

प्रस्ताव यह था कि कार्य-मंत्रणा समिति को पुन: निर्दिष्ट कर दिया जाय। उस समय किसी माननीय सदस्य ने आपत्ति नहीं उठाई। तो मैं ऐसा मानता हूं . . .

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, . . .

श्री शम्भूनाथ—

आप कृपया बीच में न बोलें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो . . . . .

श्री शम्भूनाथ—

माननीय सदस्य क्या चाहते हैं, इसके बारे में आपको पहले से ही कैसे मालूम ? मान्यवर, नियमों से आप भी बंधे हुए हैं और नियमों से मैं भी बंधा हुआ हूं। एक प्रस्ताव आया। मैं कहना चाहता हूं कि हाउस की अनुमति लिये बिना आपने उसको कैसे मान लिया ? क्या हाउस की अनुमति लेना उसमें आवश्यक नहीं ? जब तक, मान्यवर, हाउस की अनुमति न लें, तब तक कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को कार्य-मंत्रणा समिति को पुन: निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, प्रस्ताव मेरा था।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, जो मैंने सुना है, आपने केवल यह कहा कि जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों 'हां' कहें, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में न हों 'न' कहें।

श्री अदल—

मैं नहीं समझता कि भूतपूर्व न्याय मंत्री जी के कान इतनी जल्दी खराब हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

जो बात ओमप्रकाश जी चाहते हैं, वह आ गयी है। मैं भी यह नहीं मानता कि उनके कान खराब हो गये हैं।

अब जो प्रस्ताव कर चुके हैं, उसके अनुसार कल हाउस में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी।

अब हम उठते हैं और कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 43 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
8 मार्च, 1979।

अनुबन्धी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 12 पर) (श्री राज्यपाल द्वारा दिया गया अभिभाषण)

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1979 के प्रथम सत्र के अवसर पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। विगत वर्ष हमारे राज्य में भयंकर रूप से बाढ़ आई जिसके कारण एक दो जिलों को छोड़कर सभी जिले प्रभावित रहे। मेरी सरकार ने हर सम्भव उपाय से लोगों की सहायता की। साथ ही केन्द्रीय सरकार से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भी निःशुल्क वितरण हेतु प्राप्त हुआ जिसे जिलों में बांटा गया। एडवान्स प्लान सहायता के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिये 73 करोड़ से अधिक धनराशि भवन निर्माण तथा अन्य मदों के लिये प्राप्त हुई है। सरकार के प्रयासों के अलावा जनता ने जिस धैर्य और मनोबल से इस आपदा का सामना किया वह सराहनीय है।

राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखना सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है जिसे सुनिश्चित करने के साथ-साथ जनसाधारण के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिये शासन वृढ़ संकल्प है। हरिजनों तथा समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के प्रति होने वाला उत्पीड़न एक सामाजिक अभिशाप है। इसे समूल नष्ट करने के लिये मेरी सरकार कठोर कदम उठावेगी। परन्तु इसके लिये समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग भी अपेक्षित है। पुलिस प्रशासन को और अधिक चुस्त, स्वच्छ एवं गतिशील बनाया जा रहा है।

आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। इस समय उसके मन में निराशा एवं अस्थिरता की भावना व्याप्त है। उसमें उज्ज्वल भविष्य के साथ देश प्रेम, चरित्र निर्माण और समाज के प्रति कर्त्तव्य की भावना जाग्रत करने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई का वातावरण बने एवं विद्यार्थी अपनी उमंगों को रचनात्मक कार्यों में लगाये। मेरी सरकार इस दिशा म आवश्यक वातावरण बनाये जाने के लिये प्राथमिकता देगी। मुझे विश्वास है कि इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अभिभावकों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

हमारा प्रदेश बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त है। बेरोजगारी की समस्या केवल नौकरियों के माध्यम से ही नहीं सुलझाई जा सकती। मेरी सरकार का यह निश्चय है कि औद्योगिक विकेन्द्रीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायें। शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिये छोटे उद्यमियों को ऋण देने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनमें राज्य में उपलब्ध कच्चे माल का समुचित एवं उपलब्ध जनशक्ति का अधिकाधिक उपयोग हो सके। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार नये रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शीघ्र नयी योजनायें तैयार करेगी। साथ ही जनसाधारण में स्वदेशी एवं स्वावलम्बन की भावना भी जाग्रत की जायगी।

हमारे प्रदेश में शीरे के रूप में एक बहुमूल्य कच्चा माल उपलब्ध है। उसका समुचित उपयोग कर शासन अल्कोहल आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है और इस सम्बन्ध में शीघ्र एक कमेटी गठित की जायगी।

प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सरकार ने यह निश्चय किया है कि तकनीकी प्रशिक्षण योजना को एक नया मोड़ दिया जाय जिसमें तकनीकी प्रशिक्षण के बाद छात्र स्वतः रोजगार की ओर अग्रसर हो सके। पढ़ने के साथ धनोपार्जन के ध्येय को ध्यान में रखकर बहुधन्धी संस्थाओं में उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं जो अब पंजीकृत सोसाइटियों के अन्तर्गत कार्य करेंगे। चर्म उद्योग के विकास के लिए दो टैनरी भी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

मेरी सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा, उनकी दशाओं में सुधार और समाज के दुर्बल वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तरों को उठाने के लिये सतत प्रयत्नशील है। छठी पंचवर्षीय योजना काल में नये श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। आज प्रदेश में पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन किया जाना नितान्त आवश्यक है। मैं श्रमिकों तथा उद्योगपतियों से इस बात की अपील करूंगा कि वह हड़ताल, तालाबंदी, अथवा धीरे काम करने की प्रवृत्ति को त्यागकर अपने पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि हमारा प्रदेश उन्नति की दिशा में बढ़ सके।

कृषि हमारे प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था एवं सम्पन्नता की आधार शिला है। किसानों की दशा को सुधारने तथा उन्हें हर सम्भव सहायता प्रदान करने के लिये मेरी सरकार कृत संकल्प है। उपलब्ध समस्त संसाधनों के उपयोग के द्वारा कृषि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं। कृषि उत्पादन मंडियों की दशाओं को सुधारने तथा नये मुख्य मार्केट यार्डस और उप मार्केट यार्डस के निर्माण के लिये भी आवश्यक कदम उठाये जायंगे। विगत वर्ष हमारे प्रदेश में खाद्यान्नों के उत्पादन का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है और मुझे आशा है कि इस वर्ष भी निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन सम्भव हो सकेगा।

प्रदेश में दुग्धशाला विकास को सहकारी पद्धति पर संगठित किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में जहां पशु चिकित्सा सुलभ नहीं है अतिरिक्त चिकित्सालय स्थापित किये जायेंगे। मत्स्य उद्योग को भी और अधिक विकसित किया जायगा।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहकारिता का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। जुलाई, 1979 से देश में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जा रही है। इस कार्य में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी। इन समितियों के जरिये निबल वर्गों को सहायता देने के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है।

पिछले पेराई सत्र में गन्ने के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में एक नया कीर्तिमान कायम हुआ, किन्तु चीनी के मूल्यों में भारी गिरावट आई। उत्तर प्रदेश में साधारणतया चीनी मिले केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य भुगतान करती रही है, परन्तु गत पेराई सत्र में चीनी के मूल्यों में भारी गिरावट के कारण यह सम्भव नहीं था। किसानों के हितों को ध्यान में रखकर और पिछले वर्ष बाढ़ की विभीषिका तथा किसानों की अन्य कठिनाइयों को देखते हुए शासन ने अपने सीमित संसाधनोंके बावजूद यह निर्णय लियाहै कि इस वर्ष गन्ना किसानों को गन्ने का वही मूल्य दिया जाय जो उन्हें पिछले वर्ष मिला था। इस संबंध में होने वाले अन्तर को शासन द्वारा वहन किया जायगा। यह एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय है जो देश में अपने प्रकार का पहला कदम है। पिछले वर्ष चीनी के मूल्यों में आई भारी गिरावट के कारण किसानों को देय लगभग 52 करोड़ रुपया मिलों पर अवशेष था उसमें से लगभग 38 करोड़ रुपये का भुगतान कराया जा चुका है। छोटे गन्ना किसानों को विशेष सुविधायें दी जा रही हैं। शासन ने अब सभी गन्ना किसानों को बिना किसी लाइसेन्स या फीस के अपना खड़ा कोल्हू लगाने की पूरी छूट दे दी है।

कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में विकास के लिये विद्युत की आवश्यकता अनिवार्य है। मेरी सरकार गांवोंमें विद्युतीकरण तथा नलकूपों और उद्योगों को अधिक से अधिक बिजली देने के लिये दृढ़ संकल्प है तापीय विद्युत की तीन परियोजनाओं में संयंत्र लगाने की स्वीकृति मिल चकी है। आगामी वित्तीय वर्ष में बिजली के उत्पादन में और अधिक बढ़ोत्तरी होगी तथा प्रदेश में इस समय हो रही बिजली की कमी काफी अंश तक दूर हो सकेगी।

प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में उपलब्ध सिचाई के साधनों के संतुलित उपयोग को शासन सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। बुन्देलखंड एवं चम्बल घाटी के निकटवर्ती एवं पिछड़े क्षेत्रों में सिचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिये शासन विशेष रूप से प्रयत्नशील है। किसान के खेत

तक पानी पहुंचाने और पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा की प्रणाली का पूर्ण उपयोग किये जाने की दृष्टि से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण करने का भी सरकार का विचार है।

गांवों की दशा को सुधारने के लिये ग्रामीण अंचलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने पिछले वर्ष एक व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया था। इस कार्यक्रम में गत वर्ष की अपेक्षा और तीव्रता लायी जायेगी। परिवहन सेवाओं में सुधार किया जायगा ताकि जनता को सस्ती एवं द्रुतगामी बस सेवाये सुलभ हो सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु भारत सरकार की आर्थिक सहायता से कुछ विशिष्ट क्षेत्रीय विकास योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत छोटी जोतों की उत्पादन शक्ति बढ़ा कर तथा सहायक व्यवसायों द्वारा अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करा कर ग्रामीण निबल वर्ग को अधिकाधिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के दक्षिणी भाग के सूखाग्रस्त छः जिलों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष योजना चलाई जा रही है।

ग्रामीण अंचलों में रहने वाले समाज के निर्बल एवं निर्धन वर्गोंकी दशा की सुधारने के लिये मेरी सरकार ने विगत गांधी जयन्ती के पावन अवसर पर प्रदेश व्यापी अन्त्योदय कार्यक्रम आरम्भ किया है। सरकार आगामी वर्ष में इस योजना का और विस्तार करेगी। इसके अतिरिक्त हरिजनों एवं समाज के पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिये पेयजल एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध किये जाने के कार्यक्रम को और विकसित किया जा रहा है।

भूमिहीन निर्बल वर्ग के कतिपय व्यक्तियों को जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पट्टे दे दिये गये थे उनके सम्बन्ध में मेरी सरकार इस बात पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि पट्टों को निरस्त करने के बजाय ऐसी भूमि पर पट्टेदारों को आसामी के अधिकार प्रदान कर दिये जायें। आवंटित आवास स्थलों के विकास के लिये छठी पंचवर्षीय योजना काल में नवीन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों की खरीद का समुचित प्रबन्ध मेरी सरकार ने किया है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर अब धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सहकारी संघ और राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम द्वारा भी किये जाने का निर्णय लिया गया है। पहली जनवरी से सरकार ने सीमेन्ट वितरण का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। यह भी आदेश जारी किये गये है कि बाढ़ से क्षति ग्रस्त भवनों की मरम्मत, गोबर गैस प्लान्ट की स्थापना तथा अन्य विकास कार्य के लिये प्राथमिकता के आधार पर सीमेन्ट दी जाय। मुझे इस बात का हर्ष है कि शासन के निरन्तर प्रयासों से दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्यो में स्थिरता आयी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये भी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

मद्यपान एक सामाजिक अभिशाप है। मेरी सरकार ने पूरे प्रदेश में मद्य निषेध लागू किये जान की नीति अपनायी है और इसके प्रथम चरण में प्रदेश के 12 जिलों में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया जा चुका है तथा दूसरे चरण में सात अन्य जिलों में इसे लागू करने का प्रस्ताव है। इसके विस्तार और मद्य निषेध नीति को आगे बढ़ाने के लिये सरकार दृढ़ संकल्प है।

शासन द्वारा प्रत्येक स्तर की शिक्षा के सर्वोन्मुखी विकास हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है बच्चों के आवास के डेढ़ किलोमीटर की परिधि के भीतर प्रारम्भिक विद्यालय तथा तीन किलोमीटर की परिधि में जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। निरक्षरता को मिटाने के उद्देश्य से 15 से 35 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के लिय राष्ट्रीय प्रौढ़

शिक्षा कार्यक्रम का उदघाटन पिछले वर्ष किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में 65 प्रतिशत व्यक्तियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य मेरी सरकार द्वारा रखा गया है। प्रशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की सेवा की शर्तों में सुरक्षा लाने तथा उनकी सेवाओं को केन्द्रीयित करने के प्रश्न पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। शासन इस बात पर भी विचार कर रहा है कि बेसिक शिक्षा के प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण किया जाय और यह जिला स्तर पर हो। यह कदम बेसिक शिक्षा के विकास में सहायक सिद्ध होगा।

पर्वतीय क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कई योजनायें चल रही है। इन क्षेत्रों में मोटर मार्गों का निर्माण, सड़कों का सुधार एवं पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। ऊन योजना के अन्तर्गत एक रंगाईशाला की स्थापना हेतु खादी बोर्ड को अनुदान दिया गया है। पिछड़ी जातियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और एक ट्राइबल प्रोजेक्ट अथारिटी का गठन किया गया।

नागर स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने तथा उनके लिये वित्तीय संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो अन्य बातों के अतिरिक्त मितव्ययता के बारें में भी अपनी संस्तुति देगी। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिये स्थानीय निकायों को यह निदेश दिये गये है कि जिन निकायों में सीवर लाइने है वहां सीवर सफाई करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से गैस मास्क तथा अन्य सुरक्षा सुविधायें दी जांय। महानगरों एवं नगरपालिकाओं में पूर्ण रूप से "भंगी मुक्ति" के उद्देश्य से शुष्क शौचलायों स्थान पर स्वच्छ शौचालय बनाने के कार्यक्रम को सरकार प्राथमिकता देगी। सभी नगर महापालिकाओं को सफाई के लिये आधुनिक मशीनों के क्रय हेतु बैंकों से ऋण लेने की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।

नगरों एवं ग्रामीण अंचलों में पेयजल की सम्पूर्ति तथा अन्य सुविधाओं के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

ग्रामीण अंचलों तथा गरीबों की सेवा करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुलभ तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उन्हें एक नया स्वरूप देनेका प्रस्ताव है, जिसमें रोगों के रोकथाम तथा उपचार, दोनों ही पहलुओं पर ध्यान दिया जायगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार सतत प्रयत्नशील है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षण की व्यवस्था के लिये एक पृथक् विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार किया जा रहा है।

मैदानी इलाकों में पेड़ विहीन क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से पेड़ लगाने के लिये एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसी प्रकार का एक अन्य प्रोजेक्ट पहाड़ी इलाकों के लिये बनाये जाने का कार्य हाथ में है।

न्याय व्यवस्था को कम से कम खर्चीली तथा सुगम बनाने की दृष्टि से प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये मेरी सरकार ने कई कदम उठाये हैं और सिविल तथा दण्ड प्रक्रिया संहिताओं में इस उद्देश्य से व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव है। वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के तथा न्यायालय भवनों आदि के निर्माण-कार्य में और अधिक गति लायी जायगी। अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग देने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में बन्दियों को दूषित वातावरण से मुक्त करने के लिये कारागारों की दशा में सुधार किया जायगा और बन्दियों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी सरकार के प्रयासों तथा जनता के सहयोग से विगत वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय बचत योजना में हमारा प्रदेश सर्वप्रथम रहा। इस योजना के महत्व को देखते हुये ग्रामीण अंचलों तक इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिये मेरी सरकार बराबर प्रयत्नशील है।

योजना के क्षेत्र में मेरी सरकार ग्रामोन्मुखी योजनाओं पर विशेष बल दे रही है। मेरी सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विकास परिषद् ने पहली बार इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि पिछड़े राज्यों को केन्द्रीय सहायता दिये जाने में वरीयता दी जानी चाहिए। प्रदेश के अन्दर क्षेत्रीय विषमताओं को दृष्टिगत रखते हुए नयी योजनायें बनायी जायेंगी।

प्रशासकीय कार्यों का यथासम्भव विकेन्द्रीकरण मेरी सरकार की नीति है। इसके लिये शासन स्तर से मंडल स्तर पर अधिकारों के प्रतिनिहित किये जाने पर शासन विचार कर रहा है। इसी प्रकार जिला स्तर से तहसील स्तर पर परगनाधिकारी व मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय और उप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय स्थापित करने के कार्य को भी प्राथमिकता दी जायगी। सरकार अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह अपेक्षा करती है कि वह अपने को जनता का सेवक मानते हुये उनकी समस्याओं को निकट से समझे और उन्हें किसी भी प्रकार शिकायत का अवसर न दें। प्रशासनिक देरी का समूल नष्ट किया जाय। मुझे आशा है कि सरकारी कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों का पालन पूर्णरूप से करेंगे।

इस सत्र के वर्तमान अधिवेशन में आपके सम्मुख वर्तमान वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक अनुदान तथा आगामी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत किया जायगा। वर्तमान सरकार ने अभी हाल ही में अपना कार्यभार संभाला है। इसके अतिरिक्त राज्यों को पिछड़ेपन के आधार पर सहायता दिये जाने के सिद्धांत को राष्ट्रीय विकास परिषद् से स्वीकृत कराने में समय लगा। इस कारण योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। इसलिए सम्पूर्ण बजट को प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा। उपर्युक्त वित्तीय कार्य के अतिरिक्त आपके सम्मुख कुछ विधेयक भी प्रस्तुत किये जायेंगे जिनमें से उत्तर प्रदेश भूदानयज्ञ (संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की वेदखली) (संशोधन) विधेयक, रुड़की विश्वविद्यालय विधेयक, दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, दण्ड विधि (अपराधों का शमन) विधेयक, राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक तथा उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक प्रमुख होंगे।

माननीय सदस्यगण ! उपलब्ध संसाधनों, पर्याप्त जनशक्ति एवं प्रतिभा के होते हुये भी हमारा प्रदेश अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके पिछड़ेपन को दूर करने तथा समाज के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये हमें एक दीर्घ और निर्णायक संघर्ष करना पड़ेगा। यह लक्ष्य सामूहिक प्रयासों एवं सहयोग से ही सम्भव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब सदस्यगण इस प्रदेश की सर्वांगीण उन्नति के पुनीत कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये आहूत करता हूं।

जयहिन्द।

परिशिष्ट 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ 26½ पर)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण —

1—खण्ड 15 द्वारा प्रतिस्थापित मल अधिनियम की—

(क) धारा 12-ख (1) की पंक्ति तीन में "उपबन्धों", को शुद्ध करके उसके स्थान पर शब्द "उपबन्धों" कर दिया गया है तथा अन्तिम पंक्ति में शब्द "पदाभिहित" के स्थान पर शब्द "पदाभिहित" रख दिया गया है।

(ख) धारा 12-ग के पार्श्व शीर्षक के अन्तिम शब्द "अर्हताएं" के स्थान पर शब्द "अर्हता" रख दिया गया है।

(ग) धारा 12-घ की उपधारा (1) के भाग (तीन) में शब्द "निर्वाचनों" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन" रख दिया गया है।

2—खण्ड 22 द्वारा प्रतिस्थापित संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की धारा 5-क की उपधारा (2) की पंक्ति दो में शब्द "भारत क संविधान" के स्थान पर शब्द "भारत का संविधान" चिह्न " " में रख दिये गए हैं तथा इसी उपधारा (2) क प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अन्तिम पंक्ति में शब्द "उपबन्ध" के स्थान पर शब्द "उपबन्धों" रख दिया गया है।

3—खण्ड 23 के बाद, बढ़ाए गए खण्ड 23-क को पुनरंकित करक खण्ड 24 तथा खण्ड 24 को पुनरंकित करक खण्ड 25 कर दिया गया है।

4—पुनरंकित खण्ड 25 की पंक्ति तीन म शब्द "अध्यादश" क स्थान पर शब्द "अधि: नियम" रख दिया गया है।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ 26 पर)

उत्त र प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1978 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण :—

1—खण्ड 5 की प्रथम पंक्ति में शब्द "नगर" तथा शब्द "म्युनिसिपैलिटी" के बीच (चिन्ह) " , " (कामा) बढ़ा दिया गया है ।

2—खण्ड 6 द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 9 में :—

(क) उपधारा (2) की प्रथम पंक्ति में प्रथम शब्द "निर्वाचन" के स्थान पर शब्द "निर्वाचक" रख दिया गया है ।

(ख) उपधारा (8) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड की प्रथम पंक्ति में शब्द "सुधार" तथा शब्द "निष्कासन" के बीच चिन्ह "," (कामा) बढ़ा दिया गया है ।

3—खण्ड 31 की प्रथम पंक्ति में शब्द "सिविल वाद" तथा शब्द "आपराधिक वाद" के बीच चिन्ह " , " (कामा) बढ़ा दिया गया है ।

सत्री 'ब'

(देखिए पीछे पृष्ठ 27 पर)

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1978 म उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण :—

1—खण्ड 2 द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 9 में प्रतिस्थापित उपधारा 2(ख) की पंक्ति 2 के प्रथम शब्द "ज्येष्ठज" के स्थान पर शब्द "ज्येष्ठ" रख दिया गया है ।

2—खण्ड 3 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 10 में बढ़ाई गयी उपधारा (3) की पंक्ति 4 में शब्द "क्षत्र" के स्थान पर शब्द "क्षेत्र" तथा उक्त उपधारा के अन्त में चिह्न " " " रख दिया गया है ।

विधान भवन

सत्यमेव जयते

सूची 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 28 पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण:—

1—खण्ड 1 क उपखण्ड (1) की पंक्ति एक म अन्तिम शब्द "सधिनियम" क स्थान पर शब्द "अधिनियम" कर दिया गया है।

2—खण्ड 4 द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 11(1) की पंक्ति 3 म शब्द "का" के स्थान पर शब्द "को" रख दिया गया है।

3—खण्ड 7 द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 22 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड की पंक्ति दो में शब्द "का भुगतान" तथा शब्द "कर दिया" के मध्य का शब्द "कर" निकाल दिया गया है।

विधान भवन

सन्धी 'ब'

(देखिए पीछे पृष्ठ 28 पर)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण :—

खण्ड 2 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 22 (3) में—

(1) भाग (एक) के अन्त में शब्द "नकद में एक मुश्त" के स्थान पर शब्द "नकदी में एकमुश्त" रख दिया गया है।

(2) भाग (दो) की पंक्ति 2 में शब्द "शेष" तथा शब्द "धारा" के बीच में चिह्न " , " (कामा) रख दिया गया है।

परिशिष्ट 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 28 पर)

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण :—

1—खण्ड 2 में उपखंड (क), (ख), (ग) तथा (ङ) के अन्त में चिह्न "," के स्थान पर चिन्ह ";" रख दिया गया है ।

2—खण्ड 3 के उपखण्ड (2) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "किये बिना" तथा शब्द "किया" के बीच में चिन्ह "," रख दिया गया है ।

3—खण्ड 4 में—

(1) उपखण्ड (1) की पंक्ति 3 के अन्तिम शब्द "बाउचर" के स्थान पर शब्द "वाउचर" रख दिया गया है ।

(2) उपखण्ड (2) की पंक्ति 2 में शब्द "शिक्षा" तथा अंक "1972" के बीच में शब्द 'अधिनियम" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया गया है ।

4—खण्ड 5 में—

(1) उपखण्ड (3) की प्रथम पंक्ति में शब्द "तत्सदृश्य" के स्थान पर शब्द "तत्सदृश" रख दिया गया है ।

(2) उपखण्ड (4) के भाग (क) में शब्द "किये" के स्थान पर शब्द "लिए" तथा भाग (ख) के अन्त में चिन्ह " , " के स्थान पर चिन्ह " ;" रख दिया गया है ।

5—खण्ड 6 के उपखण्ड (4) की पंक्ति 3 में शब्द "शक्यियों" को शुद्ध करके शब्द "शक्तियों" रख दिया गया है ।

6—खण्ड 7 में—

(1) प्रथम पंक्ति के अन्त में शब्द "से" के स्थान पर शब्द "में" रख दिया गया है ।

(2) पंक्ति 6 में शब्द "सकता" तथा शब्द "या" के बीच में शब्द "है" रख दिया गया है ।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 85 विधान सभा—21-7-79 (1306) 1979-835 (मैग0)